दिनांक 31.03.2021 को नगर निगम मुख्यालय,मोतीझील स्थित सदन सभागार में पूर्वान्ह 11:00 बजे मा0 सदन की आहूत बैठक निकाय निर्वाचन की अधिसूचना के कारण स्थगित हुई, जो दिनांक 15.06.2021 को स्थगित होकर पुनः दिनांक 17. 06.2021 को स्थगित होते हुए दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न हुयी, का कार्यवृत्त।

दिनांक–15.06.2021 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सभागार में सदन की स्थगित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष
2.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
3.	श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद / सदस्य
4.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
5.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य
6.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
7.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	पार्षद / सदस्य
8.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य
9.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य
10.	श्रीमती संगीता बाली	पार्षद / सदस्य
11.	श्री अजीत	पार्षद / सदस्य
12.	श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य
13.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य
14.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
15.	श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य
16.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
17.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद / सदस्य
18.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य
19.	श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद / सदस्य
20.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
21.	श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य
22.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
23.	श्रीमती कविता सिंह	पार्षद / सदस्य
24.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य

25.श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य
26.श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य
27.श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद / सदस्य
28.श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
29.श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
30.कु0 विधि राजपाल	पार्षद / सदस्य
31.श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
32.श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य
33.श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य
34.श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य
35.श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद / सदस्य
36.श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद / सदस्य
37.कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य
38.श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य
39.श्री विजय कुमार	पार्षद / सदस्य
40.श्री अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
41.श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य
42.श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
43.श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद / सदस्य
44.श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
45.श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
46.श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
47.श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
48.श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
49.श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
50.श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
51.श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य

52.श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
53.श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
54.श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
55.श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
56.श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
57.श्रीमती सीमा सचान	पार्षद / सदस्य
58.श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
59.श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
60.श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
61.श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
62.श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
63.श्री जय प्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
64.श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
65.श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य
66.श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
67.श्रीमती सुधा	पार्षद / सदस्य
68.श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
69.श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
70.श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
71.श्रीमती शशि साहू	पार्षद / सदस्य
72.श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
73.श्री राशिद आरफी	पार्षद / सदस्य
74.श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद / सदस्य
75.श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद / सदस्य
76.श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
77.श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद / सदस्य
78.श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य

79.श्रीमती सायमा परवीन पार्षद / सदस्य

80.श्री गुरू नारायण गुप्ता पार्षद / सदस्य

81.श्री राघवेन्द्र मिश्रा पार्षद / सदस्य

82.श्री प्रमोद जायसवाल पार्षद / सदस्य

83.श्री नवीन पण्डित पार्षद / सदस्य

84.श्री आमोद त्रिपाठी पार्षद / सदस्य

85.श्री प्रशान्त शुक्ला पार्षद / सदस्य

86.श्रीमती जरीना खातून पार्षद / सदस्य

87.श्री मो0 अमीम पार्षद / सदस्य

88.श्री कौसर अली पार्षद / सदस्य

89.श्री योगेन्द्र सिंह पार्षद / सदस्य

90.श्री अभिषेक गुप्ता पार्षद / सदस्य

91.श्रीमती शाहीन खातून पार्षद / सदस्य

92.श्री मन्नू रहमान पार्षद / सदस्य

93.श्री मो0 आरिफ पार्षद / सदस्य

94.श्री शिवम् दीक्षित पार्षद / सदस्य

95.श्री राशिद महमूद पार्षद / सदस्य

96.श्री हाजी सुहेल अहमद पार्षद / सदस्य

97.श्रीमती शबनम बानों पार्षद / सदस्य

<u>नामित सदस्य</u>

1. श्री सत्येन्द्र मिश्रा
2. श्रीमती शोभा श्रीवास्तव
3. श्री सरदार मंजीत सिंह
4. श्री शिव शंकर सैनी
5. श्री सुनील वाल्मीकि
6. श्री अतुल शुक्ला
7. श्री संदीपन अवस्थी

8. श्री प्रवीण सचान

अधिकारीगण

1.	श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2.	श्री भानू प्रताप सिंह	अपर नगर आयुक्त (प्र0)
3.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	मुख्य वित्त एवं लेखाधि0
4.	डॉ0 श्री अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5.	डॉ0 श्री अमित सिंह	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त (द्वि0)
7.	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त (तृ0)
8.	श्री एस0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता (सिविल)
9.	श्री नीरज गौड़,	महाप्रबन्धक जलकल
10.	श्री आर0के0पाल	प्र0 मुख्य अभि0(मार्गप्रकाश)
11.	श्री राधे श्याम पटेल	सचिव नगर निगम

सर्वप्रथम राष्ट्रगीत के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मा0 अध्यक्ष जी ने अपना आसन ग्रहण किया और कहा कि हम सबका स्वागत करते है और आज मा0 सदन की विशेष बैठक है और विशेष बैठक का मूल बिन्दु बजट है। मा0 अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर नगर आयुक्त ने जनसम्पर्क अधिकारी से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने को आदेशित किया।

जनसम्पर्क अधिकारी ने सर्वप्रथम कार्यसूची के प्रस्ताव सं0–1 के क्रम में नगर निगम के पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020–21 मूल बजट वर्ष 2021–22 से सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का अनुरोध मा0 कार्यकारिणी समिति के उपसभापति श्री कैलाश पाण्डेय से अनुरोध किया।

श्री कैलाश पाण्डेय, उपसभापति ने मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त महोदय तथा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों/एवं पत्रकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–147 के तहत वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–146 के तहत वर्ष 2021–22 का मूल बजट से सदन के सदस्यों को निम्ननुसार अवगत कराया :–

प्रस्ताव सं0–103

पुनरीक्षित बजट
वर्ष 2020–21
नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2019–20	प्रस्तावित धनराशि 2020–21	वास्तविक आय अगस्त 2020 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21
	Revenue Income		राजस्व आय	_				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	14134.51	16301.50	5366.39	20801.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	126.73	170.50	5.87	130.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1756.24	3053.00	441.20	1858.25
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	94.22	227.00	34.74	83.55
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	6.00	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	589.44	405.00	169.59	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	307.60	462.10	213.75	557.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37695.03	36007.00	8830.64	35781.10
	TOTAL -(A)		योग (अ)	**6**	**54703.78**	**56632.10**	**15062.17**	**59814.50**
	Capital Income		पूँजीगत आय	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				

3111	Finance Commission: Forteenth /Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	12833.63	30400.00	162.50	30050.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	307.28	4000.00	0.00	2500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1921.65	4530.00	453.47	4230.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	7	0.00	7.00	0.00	0.40
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**15062.56**	**38937.00**	**615.97**	**36780.40**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**69766.34**	**95569.10**	**15678.15**	**96594.90**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)**					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवालविगं फण्ड)	7	0.00	100.00	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	881.78	1215.00	54.72	430.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**881.78**	**1315.00**	**54.72**	**430.10**
	Total Revenue, Capital & JNNURM/ Amrut Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम / अमृत आय (अ+ब+स)**	**7**	**70648.11**	**96884.10**	**15732.87**	**97025.00**
4502	Opening Balance	4502		7	32311.22	22978.23	43461.42	22978.23
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**102959.33**	**119862.33**	**59194.28**	**120003.23**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2019–20	प्रस्तावित धनराशि 2020–21	वास्तविक व्यय अगस्त 2020तक	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	_				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	41399.57	43655.00	16751.32	42761.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	1749.79	2442.00	694.27	2757.45
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	7667.99	13126.00	3442.18	12972.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	397.69	608.00	0.36	508.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	268.67	1040.00	139.11	772.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**51483.71**	**60871.00**	**21027.24**	**59770.95**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/ Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	10079.24	33300.00	6601.04	31300.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	740.16	4000.00	18.36	2500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1526.06	5600.00	835.84	5150.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.31	8.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**12345.77**	**42908.00**	**7455.24**	**38954.00**
	Total - (D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**63829.48**	**103779.00**	**28482.48**	**98724.95**

	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0/अमृत)**					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम/अमृत योजना अग्रिम/व्यय आदि	14	404.23	2040.00	-191.26	840.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**14**	**404.23**	**2140.00**	**-191.26**	**940.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**14**	**64233.71**	**105919.00**	**28291.23**	**99664.95**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	14	4735.80	0.00	4032.09	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**14**	**59497.92**	**105919.00**	**24259.13**	**99664.95**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	14	43461.42	13943.33	34935.15	20338.28
	Grand Total		**महायोग**	**14**	**102959.33**	**119862.33**	**59194.28**	**120003.23**

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के नगर निगम पुनरीक्षित बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 97025 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 22978.23 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 120003.23 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 99664.95 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 20338.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 120003.23 लाख की दर्शायी गयी ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या– 104</u>

मूल बजट 21–22
नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2019–20	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21	वास्तविक आय दिसम्बर 2020 तक	प्रस्तावित धनराशि 2021–22
	Revenue Income		**राजस्व आय**	_				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	14134.51	20801.50	11025.99	22881.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	126.73	130.00	74.14	166.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1756.24	1858.25	1050.04	2331.55
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	94.22	83.55	52.27	92.80
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	589.44	602.60	306.20	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	307.60	557.30	412.22	563.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37695.03	35781.10	19367.32	39630.20
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**6**	**54703.78**	**59814.50**	**32288.18**	**66268.15**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**	**-**				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	;ksx ¼[k½	वित्त आयेाग : चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ	6	12833.63	30050.00	15071.65	22620.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	307.28	2500.00	0.00	1500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1921.65	4230.00	891.83	2036.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	7	0.00	0.40	0.00	0.40
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**15062.56**	**36780.40**	**15963.48**	**26156.40**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**69766.34**	**96594.90**	**48251.66**	**92424.55**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर 0एम0/अमृत)**					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण्ड)	7	0.00	0.10	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर. एम/अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	881.78	430.00	95.45	600.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**881.78**	**430.10**	**95.45**	**600.10**
	Total Revenue, Capital & JNNURM/Amrut Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम/ अमृत आय (अ+ब+स)**	**7**	**70648.11**	**97025.00**	**48347.11**	**93024.65**

4502	Opening Balance	4502		7	32311.22	22978.23	41648.01	20338.28
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**102959.33**	**120003.23**	**89995.12**	**113362.93**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2019–20	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2020 तक	प्रस्तावित धनराशि 2021–22
	Revenue Expenses		**राजस्व व्यय**	_				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	41399.57	42761.00	30212.70	45461.10
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	1749.79	2757.45	1319.83	3148.95
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	7667.99	12972.00	6986.26	13193.60
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	397.69	508.00	0.50	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	268.67	772.50	323.13	667.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**51483.71**	**59770.95**	**38842.42**	**63225.65**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	10079.24	31300.00	11256.67	25100.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	740.16	2500.00	155.04	1500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1526.06	5150.00	991.57	2621.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.31	4.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**12345.77**	**38954.00**	**12403.28**	**29225.00**
	Total -(D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**63829.48**	**98724.95**	**51245.70**	**92450.65**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर 0एम0 / अमृत)**					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर. एम / अमृत योजना अग्रिम / व्यय आदि	14	404.23	840.00	-156.16	1020.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**14**	**404.23**	**940.00**	**-156.16**	**1120.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**14**	**64233.71**	**99664.95**	**51089.54**	**93570.65**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	;ksx ¼x½	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	14	4735.80	0.00	18100.89	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व**	**14**	**59497.92**	**99664.95**	**32988.66**	**93570.65**

			फण्ड व्यय					
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	14	43461.42	20338.28	57006.46	19792.28
	Grand Total		**महायोग**	**14**	**102959.33**	**120003.23**	**89995.12**	**113362.93**

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021–22 के नगर निगम मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 93024.65 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 20338.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 113362.93 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 93570.65 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 19792.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 113362.93 लाख दर्शायी गयी धनराशि को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में श्री कैलाश पाण्डेय, उपसभापति, मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यसूची के प्रस्ताव सं0–02 में अंकित जलकल के मूल बजट 2021–22 प्रस्तुत करते हुये सदस्यों से स्वीकृति प्रदान करने की अपेक्षा की।

प्रस्ताव संख्या–105

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2019–20	प्रस्तावित आय 2020–21	वास्तविक आय दिसम्बर, 2020	प्रस्तावित आय 2021–22
	अ –	**राजस्व आय –**				
1100201		जलकर	5773.16	8200.00	4118.85	8500.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1578.58	2635.00	683.65	2720.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2039.28	3325.00	1052.35	3520.00
1408002		अन्य प्राप्तियॉ	1.80	30.00	17.12	30.00
1408001		अधिभार	0.96	10.00	0.24	20.00
1401502		नियमितीकरण	7.40	20.00	4.45	20.00
1401401		विकास शुल्क	96.23	130.00	35.41	120.00
		अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	0.00	0.00	2234.36	2400.00
		के0एन0एन0 (सामान्य निधि0)	0.00	0.00	100.00	0.00
		योग राजस्व –	**9497.41**	**14350.00**	**8246.43**	**17330.00**
	ब–	**असंचालन आय–**				
3111301		डिपाजिट कार्य				
	क	के0डी0ए0 फण्ड	126.33	0.00	0.00	500.00

	ख	14वां/15वां वित्त आयोग	1252.77		600.00		1199.55		1500.00
	ग	अवस्थापना निधि	0.00		0.00		0.00		200.00
3112301	**घ**	अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	250.00		3600.00		0.00		3600.00
		कुल आय–	**1629.10**		**4200.00**		**1199.55**		**5800.00**
3311001	**स –**	**ऋण से प्राप्ति**	**-**		**-**		**-**		**-**
		योग–(अ+ब+स)	**11126.51**		**18550.00**		**9445.98**		**23130.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	1967.73		2604.00		2291.89		3551.00
		महायोग –	**13094.24**		**21154.00**		**11737.87**		**26681.00**

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2019–20		प्रस्तावित व्यय 2020–21		वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2020		प्रस्तावित व्यय 2021–22
	अ–	**संचालन व्यय –**							
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	9505.01		10905.00		8159.13		12924.00
2303004	2	पूर्तियॉ	312.07		750.00		241.00		920.00
2308007	3	अन्य व्यय	55.20		75.00		72.51		130.00
2305006	4	रख–रखाव व्यय	854.40		1405.00		726.23		1660.00
2208003	5	जनरल टैक्स (समायोजन)	472.95		300.00		0.00		350.00
		योग संचालन व्यय –	**11199.63**		**13435.00**		**9198.87**		**15984.00**
	ब–	**असंचालन व्यय –**							
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-		2.00		-		2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-		20.00		-		25.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-		10.00		-		15.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-		0.00		-		0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-		10.00		-		20.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	-		6.00		-		6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-		15.00		-		20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-		0.00		-		0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर	-		10.00		-		20.00

		पम्प सेट का क्रय							
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-		0.00		-		0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान							
	ख	के0डी0ए0 फण्ड	252.31		0.00		154.63		500.00
	ग	14वां/15वां वित्त आयोग	983.61		500.00		862.52		1500.00
	घ	अवस्थापना निधि	44.52		0.00		20.58		200.00
2302001	12	विधुत एवं ऊर्जा	221.20		3600.00		0.00		3600.00
		योग असंचालन व्यय –	**1501.64**		**4173.00**		**1037.73**		**5908.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	13071.17		17603.00		10236.60		21892.00
		अन्तिम अवशेष	173.07		3551.00		654.45		4789.00
		महायोग	**13244.24**		**21154.00**		**10891.05**		**26681.00**

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021–22 के जल कल विभाग, नगर निगम के मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 23130.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 3551.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 26681.00 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 21892.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 4789.00 लाख इस प्रकार दर्शायी गयी कुल धनराशि रू0 26681.00 लाख को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि मान्यवर सत्य एवं अंहिसा के पुजारी गाँधी जी एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुये कानपुर महानगर की प्रथम नागरिक महापौर जी का अभिनन्दन है, जो नगर निगम सर्वे सर्वा है। बजट अध्ययन में पाया कि इसमें कुछ अच्छाईयाँ है और कुछ बुराईयाँ भी। बजट तो सदन से पास हो जायेगा लेकिन जो आपने इसमें दर्शाया है कि 100 गज के मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर 10% व फर्स्ट फ्लोर पर 15% टैक्स लगेगा, कृपया इस सम्बन्ध में भी अवगत कराया जाये कि वार्षिक मूल्यांकन के आधार कर निर्धारण होता है या मंजिल के आधार पर ? इसी के साथ मैं पैसा बचाने की बात कह रहा हूँ अभियन्त्रण विभाग से द्वारा सड़के गढ़ामुक्त करायी जायेंगी, बजट में इसका कितना प्राविधान रखा गया है ? हमारे स्वरूप नगर घण्टाघर के पास सड़क पर कई गड्ढे थे, जिसे अपर नगर आयुक्त श्री भानू प्रताप सिंह ने दिखवा कर ठीक करवाया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद् देता हूँ, परन्तु जनहित में शहर की सड़को में पैच वर्क कराया जाये। नगर निगम द्वारा सड़कें बरसात में बनवाई जायेंगी, जो 02–03 दिन में ही उखड़ने लगेंगी। अध्यक्ष महोदया आपने पूर्व में सदन में जितने भी निर्णय लिये, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? आपने जोन–4 की बैठक में स्मार्ट सिटी से 10–10 हाथ कूड़ा गाड़ियाँ लेने के लिये कहा था, उसका क्या हुआ ? नगर निगम अभियन्त्रण व अन्य विभागों के कार्यो में 25% से 30% बिलो टेण्डर की प्रथा चल रही है, ऐसे में कार्यो की गुणवत्ता कैसी होगी ? आज सदन में निर्णय लिया जाना चाहिये कि 15%से अधिक बिलो टेण्डर स्वतः निरस्त माने जाये। पालिका स्टेडियम में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से 45 करोड़ रूपया लगाकर इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, इसके निर्माण हो जाने से शहर के बाहर के खिलाड़ी

भी यहाँ आयेंगे, जिससे कानपुर का मान बढ़ेगा। पूर्व में अधिकारी हम पार्षदों को बैंठा कर हमारी बात सुनते थे किन्तु आज अधिकारी हमारी बात सुनने को कोई तैयार नही, अध्यक्ष महोदया हमारे वार्ड में प्लान्ट चला, जिसकी तीन दिन में ही बजरी उखड़ने लगी, जिसकी मुख्य अभियन्ता ने जाँच कर पुनः प्लान्ट चलाये जाने हेतु निर्देशित किया। जलकल विभाग के अन्तर्गत कानपुर महानगर में लगभग 01.25 लाख मेनहोल बने है, यदि उसकी सफाई जलकल विभाग तथा नालो की सफाई नगर निगम, गली पिटो की सफाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा सही ढंग से करा दी जाये तो शहर में जलभराव नही होगा।

अध्यक्ष ने कहा कि सम्मानित पार्षद कमल शुक्ल 'बेबी' ने जो कहा कि आपने 10–10 हाथ कूड़ा गाड़ियों के लिये कहा था। मैंने यह भी कहा था कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाये। स्पष्ट रूप से अवगत कराना है कि ं सदन में प्रस्ताव स्वीकृत करती हूँ, उसको लागू कराना आप सभी की जिम्मेदारी है। चुनाव सर पर है विकास कार्य कराया जाये। नगर आयुक्त अवगत कराये कि जिनके वार्ड में सफाई कर्मचारी नही है उन वार्डो में सफाई कर्मचारी दिये गये अन्यथा नहीं ? दीपावली पर भी प्रत्येक वार्ड में 10–10 लाईटें दिये जाने हेतु गया क्यों नहीं दी गयी ? अवगत कराया जाये। जब हमारे सदन के वरिष्ठ पार्षद कहते है कि 15% से अधिक बिलो टेण्डर को मान्य न किया जाये तो ऐसा क्यो नही किया जा रहा है ? किन परिस्थितियों में कुछ पार्षदों के कार्य होते है और कुछ के नही, ऐसा क्यो ? आज जो सदन संचालित है और आगामी जो सदन होगा उसमें कानपुर विकास प्राधिकरण, जल निगम के भी अधिकारी होने चाहिये, जिससे सदस्यों को उनके की प्रश्नों की जानकारी दी जा सके।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि हमारे वार्ड में जलभराव होता है, हमारे क्षेत्र का विकास कार्य कराया जाये। शहर में बनी हुई सड़के नगर निगम द्वारा फिर से बनाई जा रही है, जबकि केरा अविकसित क्षेत्र है, वहॉ पर ं सड़कें क्यों नही बनाई जा रही है ? सीवर समस्या है, हैण्डपम्प नहीं लगे है। के0डी0ए0 की जमीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर बेची जा रही है, परन्तु गौशाला, बारातशाला या स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बनाये जा रहे है।

नगर स्वाथ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि अभी तक 53 वार्डो में 204 सफाई कर्मचारी दिये जा चुके है। जोन–1 की सूचना आनी है।

मो0 अमीम खान ने कहा कि जोन–4 की बैठक में आपने कहा था कि हमारे पास जानकारी नही है। बिल्डिंग में करोड़ों रूपये खर्च हो रहे है किन्तु वार्डो को 10–10 हाथ कूड़ा गाड़ियाँ नही मिल रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय आपके कार्यालय में पार्षदों द्वारा दिये गये जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र डेढ़ साल से पड़े है, जिस पर कोई सुनवाई नही हो रही है, इस पर जवाब दीजिये ? अगर आप कहें तो चन्दाकर कूड़ा गाड़ियों की व्यवस्था कर ली जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि नगर आयुक्त ने कहा था कि पिछले 03 वर्षो में जितने भी सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है या सेवानिवृत्त हुये है, उनके रिक्त स्थानों पर भर्ती की जायेगी। यह गोलमाल बाते करके हमारे पार्षद कार्यकाल के लगभग 03 वर्ष 06 माह बीत गये, परन्तु कार्यकारिणी समिति एवं सदन में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जाता है। अधिकारी केवल स्मार्ट सिटी की आड़ में कार्य करा रहे है और पार्षदो की अनदेखी कर रहे है। गृह कर नहीं वसूला जा रहा है, मा0 विधायक श्री अरूण पाठक ने कहा था कि माताओं के लिये फीडिंग सेन्टर, युवाओं के लिये स्मार्ट युवा बूथ सेन्टर के लिये कहा गया था पर अधिकारियों ने इसकी भी अनदेखी की। अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' से पूछा कि किस वर्ष से बकाया वसूल रहे

है। इस सबके पश्चात् मैं अधिकारियों का आभारी हूँ कि इनकी कार्य प्रणाली से समाजवादी पार्टी फिर प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनायेगी, जिस पर सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शांत कराते हुये कहा कि सदन में सिर्फ विकास कार्यो पर चर्चा की जाये।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि चाचा नेहरू अस्पताल की तरह दक्षिण वासियों के लिये जागेश्वर अस्पताल को भी संचालित करने पर विचार करें, इस पर पार्षदो के साथ लेने के लिये कहा।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया हम कई मुद्दों पर सदन में चर्चा कर रहे है किन्तु इस पर कोई सकारात्मक पहल नही हो रही है। स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी कई सवाल उठाये थे, उस पर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था, उसकी एक प्रति महापौर कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जानी थी, क्या सूचना उपलब्ध कराई गई ? महोदया स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का भारी भरकम पहाड़ है, किन्तु उस पर कोई संज्ञान नही लिया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त बताये कि कर आप किस वर्ष से बढ़ा रहे है। आप कानपुर महानगर की जनता से वर्ष 2016 से बकाया दिखाकर कर वसूल रहे हो और आप ही वर्ष 2017 में हमें चुनाव में एन0ओ0सी0 देते हो। आप जो टैक्स भेज रहे हो या तो वह गलत है, या फिर आपने वर्ष 2017 में चुनाव के समय हमे जो एन0ओ0सी0 दी वह गलत है। मुझे लगता है कि मुझे मा0 न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर बिल्कुल ध्यान नही दे रहे है। हमारे करदाता जो हमे प्रत्येक वर्ष टैक्स दे रहे है हम उन्हीं पर भारी भरकम बकाया के बिल भेज रहे है, कर की परिधि से छूटे भवनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि क्षेत्र में दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिसे पीकर क्षेत्र की जनता बीमार हो रही है। दैनिक समाचार पत्र जागरण में लगातार खबर छप रही है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नही हो रही है। कृपया इसको दिखवाकर इसका शीघ्र समाधान कराया जाये।

अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक जलकल को जलापूर्ति का सेम्पल लेकर जॉच कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही कराने के निर्देश दिये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' ने कहा कि जल निगम के अधिकारियों को बुलाया जाये, जल निगम का कोई अधिकारी सदन में नही आता है, श्री शमीम अख्तर, परियोजना प्रबन्धक, जलकल को बुलाया जाये। जल निगम से जो अधिकारी आज सदन में आये है इनकों कुछ भी जानकारी नही है। गंगा बैराज के अगल–बगल जितने भी वार्ड है उनको ही पानी नही मिल पा रहा है। जलकल विभाग अगर न हो तो क्षेत्र की जनता प्यासी मर जाये। जल निगम ने आधी अधूरी लाईनें डाली है और कई जगह तो लाईनें जोड़ी ही नही गई है, न ही फुटपाथ तक बनाये गये। कृपया इसको दिखवाया जाये। मा0 अध्यक्ष महोदया हम श्रमिक कालोनी के रहने वाले है, श्री अनूप शुक्ला जी ने कार्यकारिणी समिति से एक ऐसा प्रस्ताव पास करा दिया है कि श्रमिक कालोनियों में कार्य नही कराये जायेंगे। महोदय श्रमिक कालोनियों के नागरिक भी वोटर है, जो हमे वोट देते है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रस्ताव को निरस्त किया जाना चाहिये।

श्री अनूप शुक्ला ने स्पष्ट किया कि मेरे प्रस्ताव में यह उल्लेख है कि कानपुर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग की कालोनियों में कराये जाने वाले कार्यो की डुप्लीकेसी न हो अतः ऐसे में वहाँ पर कराये जाने वाले विकास कार्यो को मा0 कार्यकारिणी समिति के संज्ञान में लाया जाये, तदोपरान्त ही कार्य कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में दिखवा लिया जाये और प्राविधानित नियमों, उपनियमों के तहत कार्यवाही करायी जाये।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि मेरे वार्ड स्थित जेड0पी0एस0 को जल निगम जलकल को हैण्डओवर करना चाहती है, मेरा जलकल विभाग से अनुरोध है कि वह जेड0पी0एस0 हैण्डओवर न ले, क्योंकि अभी भी बहुत कमियॉ है।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि बर्रा में दो टंकियाँ है, यदि उन्हें चालू करा दिया जाये तो दक्षिण क्षेत्र की जनता की पानी समस्या हल हो जायेगी । वार्ड–07 के अन्तर्गत हाइडिल कॉलोनी में श्री विजय पाल द्वारा रू0 25.00 लाख की धनराशि से पार्क का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, उस पर मैंने आपत्ति जताई तथा मुख्य अभियन्ता को भी अवगत कराया, समाचार पत्रों में भी छपा, अतः इसके लिये जाँच कमेटी बना दी जाये और दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। पार्को के सुन्दरीकरण एवं वृक्षारोपण हेतु मानवबल दिया जाये, जिससे पार्को का स्वरूप न बिगड़े। माननीय अध्यक्ष महोदया अभी हमारे महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' जी ने जल निगम के परियोजना प्रबन्धक श्री शमीम अख्तर का नाम लिया मैं उनके लिये कहना चाहता हूँ कि लज्जाहीन है,क्योंकि उनको फोन उठाना नही, क्षेत्र में जाना नही, समस्या को सुनना नही। नगर आयुक्त जी मैंने आपको वार्ड–07 के सम्बन्ध में एक पत्र दिया था कि वार्ड स्थित संजय नगर, राम आसरे नगर इत्यादि मलिन बस्तियॉ है। उसी से सटा पराग डेरी के बगल में रेलवे ग्राउण्ड है जहाँ वी0आई0पी0 के आने पर हमारे वार्ड के सारे सफाई कर्मचारी वहाँ लगा दिये जाते है, जिससे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। मेरा वार्ड में सफाई कर्मचारी तो 40 है किन्तु क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण सफाई सुचारू रूप से नही हो पा रही है।

श्री जे0पी0 पाल ने कहा कि मेरे वार्ड क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कृपया उसका शीघ्र समाधान कराया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि दूसरे विभाग की कॉलोनियों में कार्य न कराये जाने का प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिये क्या इनके निवासी हमारे मतदाता नहीं है ?

श्री राघवेन्द्र मिश्र ने कहा कि जब जलकल, सीवर कर लिया जाता है तो सुविधायें (कार्य) भी दी जाये।

श्री अनूप शुक्ला ने सानुरोध स्पष्ट किया कि मेरा उद्देश्य कार्य न कराने का नहीं है केवल यह चाहता हूँ कि यह दिखवा लिया जाये कि सम्बन्धित विभाग की कॉलोनियों में उनके विभाग से तो कार्य नहीं कराया जाना/जा चुका है। इसकी जॉचोपरान्त ही कार्य कराया जाये।

अध्यक्ष ने नगर निगम अधिनियम 1959 में प्राविधानित नियमों के तहत कार्यवाही कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये साथ ही सदस्यों से यह भी कहा कि मैने कानपुर महानगर में बिना भेदभाव ने विकास कार्य कराये है।

श्री सौरभ देव ने नगर आयुक्त से कहा कि कृपया सदन के सदस्यों की बातों पर ध्यान दे। सदन में लोगो को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे में भी यदि आप हमारी बात नही सुनेंगे तो कौन

सुनेगा? परन्तु बड़ी विडम्बना है कि पूर्व की बैठक में 05 प्रश्न उठाये गये किन्तु उनका जवाब नही दिया गया। यदि हमारा कोई भी पार्षद प्रश्न उठाये तो पहले उसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि जैसा कि मा0 पार्षद जी ने गृहकर के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि द्वितीय कर नियमावली–2013 के तहत 01.04.2016 को आधार मानकर गृहकर वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आपने वर्ष 2016 से अपडेट मान लिया, जबकि करदाता आप द्वारा भेजे गये बिल को जमा करता रहा और अब आप वर्ष 2019–20 में पुराने से टैक्स ब्याज लगाकर भारी भरकम टैक्स के बिल भेज रहे है। अगर आप सही है तो मुझे बताये कि चुनाव में मुझे नगर निगम द्वारा जो एन0ओ0सी0 दी गई है क्या वह गलत है ? माननीय अध्यक्ष महोदया मेरा अनुरोध है कि इसको स्थगित कर दिया जाये। हम सभी पार्षदों को जनता के बीच रहना है। आप छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाये। आप भवन स्वामी व अध्यासी दोनो से ही टैक्स ले सकते है। प्राईवेट एजेन्सी के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है, इसमें भी अनेक विसंगति है, क्यों कि एजेन्सी का व्यक्ति एक स्थान पर बैठककर मनमाने ढंग से भवन का मूल्यांकन कर रहे है, इसके सम्बन्ध में अनेक भवन स्वामियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें की भी जा रही है।

नगर आयुक्त ने कहा कि नयी सम्पत्तियों को भी कर दायरे में लाया जायेगा साथ ही सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि 2008 में स्वकर प्रणाली लागू हो गयी है। दिनांक 01.04.2016 से पुराने कर के रेट ऑफ टैक्स को अद्यतन किया गया है, उसकी अदायगी बनती है। 01.04.2016 से बढ़े हुये पर ब्याज न लिया जाये, इसके सम्बन्ध में परीक्षण कराकर सदन की स्वीकृति कराकर शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि भवनों का कर निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि मंजिलों के आधार पर।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि अध्यक्ष महोदया आप शहर की माँ हो, अगर आप कोरोना काल में गृहकर में ब्याज माफ करेंगी तो यह एक मिसाल होगी। आपने कोरोना काल में घाटों में जाकर लकड़ियों की व्यवस्था देखी। कोपरगंज स्थित जच्चा–बच्चा अस्पताल की मरम्मत हेतु जो कार्य किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे वार्ड में स्मार्ट सिटी से कार्य कराया जा रहा है, वहाँ पर टाइल्स अभी से टूट रही है। पोल में पट्टियों की वेल्डिंग कराई जा रही है, इसे जॉच कर दिखवाया जाये तथा पार्षद को कार्यो के परीक्षण का अधिकार दिया जाये। हम लोगो को 10–10 सफाई कर्मचारी, लाईंटे व हाथ कूड़ा गाड़ियाँ दिये जाने हेतु कहा गया था, उस पर कोई कार्यवाही नही हुई।

श्री आर0 के0 पाल ने सदस्यों को अवगत कराया कि मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की खरीद का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृति के पश्चात् तद्नुसार सभी वार्डो में लाईटे लगा दी जायेंगी।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के संचालन हेतु 286 लाईटें उतरवाई, वह कहाँ गई ? आप पर्यावरण अभियन्ता है, ऐसे में आप द्वारा बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में पेड़ कटवाये गये और कहा गया है कि पेड लगवाये जायेंगे। नगर आयुक्त जी आप स्मार्ट सिटी के सी0ई0ओ0 है। पालिका स्टेडियम में अभी से पालिया स्टेडियम स्मार्ट सिटी लिख दिया गया है, जानना चाहता हूँ कि बिना सदन की स्वीकृति के कार्य कैसे शुरू करा दिये गये?

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि मैं आपका ध्यान रफाका नाला की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो कच्चा है, उसकी अभी तक सफाई नही हो पाई है। यदि यह नाला पक्का बनवा दिया जाये तो कई वार्डो की समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री मो0 अमीम खान ने कहा कि अगर कोविड की इतनी चिन्ता है तो आपको सर्वप्रथम वार्डो से कूड़े का निस्तारण कराया जाये। जलकल विभाग के पास पैसा नही है, हमारे 10.00 लाख रूपये में से जलकल विभाग के टूटे चेम्बरों को बनवा दिया जाये। अध्यक्ष महोदया आप हाल ही में बेकनगंज गई जहाँ मन्दिर गिर गया, आपने उसके बाहर दुकानों को हटवा दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप पूरे शहर की महापौर है, मन्दिर व मस्जिद दोनो के ही बाहर कब्जो को हटवाकर उनको साफ कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि **ये प्रकरण सदन से सम्बन्धित नहीं है, इसे यहॉ नहीं उठाया जाना चाहिये, फिर भी यदि उठाया गया है तो अवगत कराना चाहती हूॅ कि बेकनगंज में वर्ष 1933 में जब दंगा हुआ था, वहां सुनार वाली गली कही जाती थी, वहां 45 घर बनियों के थे। सबके घर व दुकान जला दिये गये। सब अपनी जमीनें छोड़कर चले गये। प्रश्नगत स्थल पर एक मन्दिर था। बाबा बिरयानी की दुकान के पीछे मन्दिर है।** मैंने अपनी आँखों के सामने वहाँ पर बिरयानी बिकते देखा, तभी वहॉ से हटाया है। मैं किसी भी दुकान को हटाने के पक्ष में नही थी, परन्तु **किसी के धर्म से खेलने का अधिकार किसी को नही दूँगी। किसी धार्मिक स्थलों पर व्यावसायिक गतिविधियॉ नहीं होने दूॅगी, यह मेरा संवैधानिक दायित्व है।** चूंकि मै निकाय निर्वाचन में महापौर के रूप में निर्वाचित होकर संवैधानिक पद का निर्वहन कर रही हूॅ। अतः कोई भी धार्मिक स्थल हो, मैं उसकी रक्षा करूँगी। चाहे मैं रहूँ या न रहूँ किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नही करूँगी।

श्री हाजी सोहेल अहमद ने कहा कि मोहम्मद अमीम के कथन पर मैं सदन से क्षमा याचना करता हूॅ।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मैं उस वार्ड से पार्षद हूँ जहाँ पर गंगा बहती है। रामेश्वर मन्दिर से मस्जिद तक का नाला निर्माण चल रहा था, जिसे रोक दिया गया, कृपया नाला का सुधार शीघ्र कराया जाये, ताकि जलभराव की समस्या न हो। मेरा वार्ड गंगा बैराज से जुड़ा हुआ है और वहाँ 06 माह से सप्लाई नही हो रही है, जिसके सम्बन्ध में मैंने कई पत्र भी दिये है, परन्तु सुनवायी नहीं हुई।

महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि 15वें वित आयोग की धनराशि से 200 नये हैण्डपम्प व 200 हैण्डपम्प रिबोर कराने का निर्णय लिया गया है।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि जब नगर निगम की पूरी बिल्डिंग में ए0सी0 लगे है, तो सदन में भी ए0सी0 लगाया जाये। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब जगह ए0सी0 लगे है, तो सदन गर्म क्यों ?

श्रीमती जरीना खातून ने कहा कि मेरे वार्ड कों विकास चाहिये, कार्य कराये जाये। मुझे सफाई नायक देने का वादा किया गया था, वह नही हुआ। मेरे वार्ड में रोड बनकर तैयार हो जाती है, परन्तु शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं दी जाती है

श्रीमती मेनका सिंह सेंगर ने कहा कि मेरा वार्ड–87 बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। 11 वर्षो से 04 टंकियाँ बनी पड़ी है, जो आज तक चालू नही हुई है। सारे हैण्डपम्प खराब पड़े है। एक

हैण्डपम्प से 03 वर्ष से सीवर का पानी आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में कई बार शिकायत भी कर चुकी हूँ किन्तु उसे रिबोर नही किया गया। मेरे वार्ड में 500 शौचालय बनने थे, जिसमें से 200 चालू है 300 शौचालयों का क्या होगा? कहाँ गये, पता ही नही चला, जिस पर आपने जाँच के आदेश भी दिये थे। पूरे क्षेत्र में जलभराव है, हमारे अधिशाषी अभियन्ता है सोनी साहब, यदि उनसे कोई कार्य मुख्य अभियन्ता कहते है तो वह कहते है कार्य हो चुका है। मेरे वार्ड में एक भी बारातशाला नही है। आप स्मार्ट सिटी बना रहे है और हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी ही नही है। सड़को के गढ्ढो को भरने के लिये मलबा तक नहीं मिलता है।

श्री अमनदीप सिंह गम्भीर ने कहा कि 'न मन्दिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, आज सिर्फ विकास की बात हो'। क्षेत्र की जनता कहती है कि पानी की बात हो, सीवर की बात हो और सफाई की बात हो। शहर के प्रकाश बिन्दु बन्द/खराब पड़े है, इन्हें प्राथमिकता पर ठीक कराया जाये, क्योंकि मेरे वार्ड में एक फल के ठेला लगाने वाले व्यक्ति को टैम्पों ने टक्कर मार दी, आज भी वह के0एम0सी0 में भर्ती है।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि **2018 के शासनादेश में फुटपाथ, सड़क पर स्टैण्ड संचालित न किये जाने का उल्लेख है, परन्तु अस्पताल/**क्लीनिक के बाहर वाहन स्टैण्ड लगाये जा रहे है, इसे दिखवा कर हटवाया जाये।

श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि अमर जवान चौक से लेकर कनिका हास्पिटल तक जाम की समस्या बनी रहती है, कृपया इस सड़क को चौड़ा कराया जाये। इस सड़क पर आये दिन दुर्घटनायें होती है, दिन भर सड़क के दोनो ओर गाड़ियॉ खड़ी रहती है, जिससे जाम लगता है। आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय के के समीप आसरा आवासीय कॉलोनी में मार्ग प्रकाश, पानी की समस्या है। वहॉ कई परिवार रहते है, समस्याओं का निराकरण कराया जाये।

श्री शिवम् दीक्षित ने कहा कि धनकुट्टी स्थित जच्चा–बच्चा अस्पताल का निर्माण सन् 1965 में हुआ था। नगर निगम के पास पैरामेडिकल स्टॉफ न होने के कारण नगर निगम में चिकत्सा कैडर को मृत घोषित कर दिया गया। क्षेत्र की जनता के प्रस्ताव पर मैंने उसके निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2021 को प्रस्ताव दिया था। जो स्वीकृत भी हुआ था, परन्तु कतिपय साजिश के तहत सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु विधि विरूद्ध टेण्डर मॉगा गया है, जबकि नगर निगम अधिनियम की धारा 129 (4) में प्राविधानित है कि नगर आयुक्त बिना नगर निगम कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति लिये न बेंच सकता है न ही किराये पर उठाया जा सकता है, अतः इसे निरस्त किया जाना चाहिये।

सुश्री लक्ष्मी कोरी ने कहा कि हम लोग सत्ताधारी है इसलिये हम विनम्रता से बात करते है। शहर का बहुत विकास हुआ किन्तु वैसा विकास नही हो पाया जैसा हम शपथ के समय चाहते थे। मेरे वार्ड में 03 प्रमुख सड़के है, जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त है किन्तु उनका निर्माण नही हो पाया। कई क्षेत्रों में करोड़ों के कार्य हुये और कही लाखों के ही। ग्वालटोली मकबरा रोड का निर्माण नही हो पाया है। उसका शीघ्र निर्माण कराया जाये। कार्यकारिणी समिति से एक बारातशाला पास हुई थी, जो आज तक नही बनी। क्या हमारे वार्ड में कार्य नही कराये जायेंगे ? सुश्री लक्षमी कोरी ने अपनी बढ़ाते हुये कहा कि मेरे वार्ड में 02–03 छोटे–छोटे पार्क है किन्तु एक भी माली नही है। पार्को का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पार्क मे बरगद का पेड़ गिरा पड़ा है जिसके लिये मैने कई बार श्री वी0के0 सिंह से कहा किन्तु आज तक पेड़ों को हटवाया नही गया है। एक पार्क की बाउन्ड्री टूटी होने के कारण सीसामऊ नाले व सेटिलमेन्ट नाले का पानी आता है। बाउन्ड्री बनवायी जाये।

अध्यक्ष ने **अपरान्ह 02:00 बजे भोजनावकाश हेतु बैठक की कार्यवाही 45 मिनट के लिये स्थगित की गई।**

.....

भोजनावकाश उपरान्त अपरान्ह 02:45 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री वी0के0 सिंह उद्यान अधीक्षक ने कहा कि मा0 पार्षद जी द्वारा जो समस्यायें उठाई गई है उसका निस्तारण कराया जा रहा है, शीघ्र ही निस्तारण हो जायेगा।

श्री सुनील कनौजिया ने कहा कि लगातार अखबारों में छप रहा है कि राखी मण्डी का प्रकरण बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदया राखी मण्डी को लेकर आपने बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर निगम कहता रहा कि राखी मण्डी हैण्डओवर नही हुई और कानपुर विकास प्राधिकरण कहता रहा कि वर्ष 1978 में हैण्डओवर हो चुकी है। दो विभागों की भिडन्त में जनता पिसे यह दुख की बात है। वर्ष 1983 का शासनादेश है कि जमीन चाहे कानपुर विकास प्राधिकरण की हो या अन्य विभाग की यदि नगर निगम द्वारा वहाँ से टैक्स लिया जा रहा है तो उसको स्वतः हैण्डओवर माना जाये। एन0जी0टी0 के हस्तक्षेप के बाद दिनांक– 26.11.2020 को महाप्रबन्धक ने निरीक्षण पश्चात् लिखा है कि राखी मण्डी राख से पटी है, ऊबड़–खाबड़ है, जिसका डिजाइन किया जाना सम्भव नही है। जल निगम द्वारा जब वहाँ पर लाईन डाली जा रही थी, तो उनके पास पूरा साइड प्लान था, जिसकी एक प्रति जलकल विभाग के पास भी थी। जल निगम द्वारा डाली गई लाइन से लगातार दूषित जलापूर्ति हो रही है। जल निगम द्वारा डाली गई पेयजल लाईन की टी0ए0सी0 जाँच करा ली जाये। महाप्रबन्धक महोदय से मेरा सवाल है कि राखीमण्डी में सीवर लाईन डाली जायेगी अथवा नही या सिर्फ टैक्स लिया जाता रहेगा। क्षेत्र से लगभग 10 से 15 लाख रूपये जलकर का टैक्स आता है। कानपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम द्वारा नाले या नालियों का निर्माण करा दिया जाये जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अन्दर की बस्ती के लगभग 40 लोग जलकल का टैक्स देते है। इसलिये सीवर लाईन भी डाली जाये।

महाप्रबन्धक ने अवगत कराया कि राखी मण्डी में पानी में क्रोमियम की शिकायत थी। मेनरोड के मकानों से ही टैक्स लिया जा रहा है। गंगा बैराज से आने वाली पानी की लाईन से जोड़कर अन्दर बस्ती के लोगो को स्टैण्डपोस्ट के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। सीवर लाईन पड़नी चाहिये लेकिन उसका सर्वे कराना पड़ेगा। इसे किसी योजना में सम्मिलित करते हुये सीवर व ड्रेनेज की व्यवस्था की जायेगी।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि वार्ड–60 में एक नाला है, यदि उसका निर्माण करा दिया जाये तो जलभराव नही होगा।

कु0 विधि राजपाल ने कहा कि रतनलाल नगर में सीवर लाईन चोक है जिसकी डीसिल्टिंग नही कराई जा रही है और कहा जाता है कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्त तथा मृत्यु होने के कारण कर्मचारियों की कमी है, समस्या का समाधान कराया जाये।

अधिशाषी अभियन्ता, जोन–5 जलकल विभाग ने अवगत कराया कि क्षेत्र में सीवर सफाई का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में सफाई कर्मचारी नही है व्यवस्था कराकर सफाई करा दी जायेगी।

अध्यक्ष ने कहा कि महाप्रबन्धक अवगत करायें कि पिछले के पिछले सदन में खुले चैम्बरों पर ढक्कन लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कितने चेम्बरों में ढक्कन लगवाये गये ?

श्री मनोज कुमार, वार्ड–08 मसवानपुर में 80 हजार जनता निवास करती है, परन्तु न तो अपेक्षित विकास कार्य हुये है और न सीवर है न कर्मचारी है। मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाये। मेरे वार्ड में गन्दगी बहुत ज्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे है। इसे जल्द से जल्द दिखवाया जाये।

जोनल अभियन्ता ने आश्वस्त किया कि आपसे सम्पर्क कर 05 दिन में समस्याओं का यथा सम्भव समाधान करा दिया जायेगा।

महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि कानपुर महानगर में जलकल विभाग के लगभग 130000 (एक लाख तीस हजार) मेनहोल है। हमारे पास 1000 मेनहोल कवर रिजर्व में है। कई मेनहोल सड़क में दब गये है, इसे खुलवाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क कर निराकरण करा रहे है। ढक्कन खुले न रहे यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम सभी जोनो को पर्याप्त मात्रा में ढक्कन दे भी रहे है। अगले महीने इसका परिणाम दिखेगा।

श्री शिव शंकर सैनी, नामित पार्षद ने कहा कि मा0 महापौर जी पिछले सदन में निर्णय हुआ था कि प्रत्येक वार्ड में हुये विकास कार्यो की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा, तद्नुसार सूचना सदन के समक्ष रखी जाये। शहर में प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है ? विद्यालयों की रौनक गायब है, नगर निगम के सभी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0ई से संचालित करने हेतु नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? नगर निगम विद्यालयों में बच्चे कम व शिक्षक अधिक है। पिछले सदन में हाथ कूड़ा गाड़ियों की समस्या पर हाथ प्रत्येक वार्ड में हाथ कूड़ा गाड़ी दिये जाने की बात कही गई थी। वार्डो में कितनी हाथ कूड़ा गाड़ियॉ दी गई ? अवगत कराया जाये। सर्विस लेनों में कूड़े के निस्तारण के लिये पक्की सर्विस लेन बनवाई जाये व कर्मचारी दिये जाये। पिछले सदन में यह कहा गया था कि पिछले 03 वर्षो में जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है अथवा सेवानिवृत्त हुये है उनके स्थान पर सफाई कर्मचारी दिये जायेंगे। दबौली में आराजी सं0 466 सें 655 में कानपुर नगर निगम की भूमि है जिस पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना नगर निगम को सूचित किये योजना बनाकर बेच दी गई है। प्रत्येक चयनित पार्षद को रू0 01–01 करोड़ व नामित पार्षद को 30–30 लाख रूपये की धनराशि विकास कार्यो हेतु दी जायेगी। हमारे मुख्य अभियन्ता ने नाला सफाई के सम्बन्ध में 30 तारीख दी गई थी, उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाये। कानपुर नगर निगम द्वारा कोविड की तीसरी लहर के लिये क्या व्यवस्था की गई ? स्मार्ट सिटी द्वारा हरे–भरे पेड़ काटे गये है उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाये। एक पेड़ के स्थान पर 1000 लगाये, तद्नुक्रम में इस समय वर्षा का पीक टाइम चल रहा है ऐसे में वृक्षारोपण हेतु वार्डो को कितने पौधे दिये गये है, अवगत कराया जाये। चाचा नेहरू अस्पताल के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों पर भी ध्यान दिया जाये, 418 पंजीकृत मलिन बस्तियों को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुपालन में मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वारा वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत अभियन्त्रण विभाग द्वारा सभी जोनों में कराये गये विकास कार्यो से समस्त सदस्यों को वार्डवार से अवगत कराया ।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि नाला सफाई के नाम पर बड़े–बड़े नालों में एक–दो बाल्टी सिल्ट निकाल कर डाल दी जाती है, स्थिति आप समझ सकते है। अधिशाषी अभियन्ता व अवर अभियन्ता से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नही की जाती है। साथ ही यह भी कहा कि नगर आयुक्त जी ने राजस्व निरीक्षकों को नाला सफाई का कार्य देखकर स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया है, उसकी क्या स्थिति है? सोसाइटी क्षेत्र के 02 मी0 से अधिक चौड़े नाले छूट गये है। नाला सफाई में ईटो की चोरी हो रही है।

अध्यक्ष ने सदस्यों से पूछा कि आप भी अपने क्षेत्र में नालों की सफाई का कार्य देखते है या नही ?

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि नाला सफाई के टेण्डर 30% से 40% तक निम्न डाले गये है। ऐसे में नाला सफाई के जिन कार्यो में टेण्डर अधिक बिलों डाले गये है, उनकी जाँच किये जाने के उपरान्त ही उनका भुगतान किया जाये।

श्रीमतीसुधा त्रिवेदी ने कहा कि वार्ड –86 में नाला सफाई का कार्य नही कराया जा रहा है, इसे दिखवाया जाये।

श्री रमेश हटी ने कहा कि ''मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, अनचाहे ख्वाबों के पर्दे हटाती है और ठोकरे इंसा को चलना सिखाती है। नगर निगम की हालत यह है कि इस वर्ष नालों की सफाई के लिये मानवबल लिया गया था लेकिन उन 41000 कर्मचारियों से कार्य नही लिया गया, जो कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे थे, उन्हीं से कार्य लिया गया। अतः सदन को अवगत कराया जाये कि किन–किन वार्डो में कितने कर्मचारी कितने दिनों के लिये लगाये गये ?

श्री संदीपन अवस्थी, नामित पार्षद ने कहा कि अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताये गये विकास कार्यो की तालिका में नामित पार्षदो के कार्यो को नहीं अवगत कराया गया। ।

अध्यक्ष ने कहा कि नामित पार्षदों के यहॉ भी तो रू0 30–30 लाख के कार्यो हेतु निर्णय लिया गया था, तत्सम्बन्ध में भी अवगत कराये

श्री दुर्गा प्रसाद, पार्षद, वार्ड–65 ने कहा कि कही घना–घना, कहीं भुना चना और कहीं बिल्कुल मना। आदेश हुआ था कि रू0 02 लाख से ऊपर के सभी कार्य ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जायेगे। ऐसे में समान्य निविदायें किसके आदेश से कराई जा रही है ?

श्री सोहेल अहमद ने अनुरोध पत्र के माध्यम से कहा कि शहर में करायी जा रही जलापूर्ति में कच्चे जल की जॉच आई0आई0टी0 से करायी जाय, ताकि स्पष्ट हो सके कि गंगा के पानी में कौन–कौन से तत्व है? तथा इसके शोधन में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाय?

नगर आयुक्त के आदेशानुपालन ने मुख्य अभियन्ता (सिविल) ने सदस्यों को अवगत कराया कि अभियन्त्रण विभाग द्वारा 1 मीटर से बड़े नालो की सफाई कराई जाती है। वर्तमान में तीन बड़े नालो यथा सी0ओ0डी0, सीसामऊ तथा रफाका नाला सहित 103 नालो की सफाई अभियन्त्रण विभाग द्वारा विभागीय कराई जा रही है तथा 157 नालो की सफाई निविदा प्रक्रिया से हो रही है, इस प्रकार कुल 260 नालो की सफाई अभियन्त्रण विभाग से हो रही है। अप्रैल व मई माह में कोविड–19 संक्रमण के कारण लेबर न मिल पाने से नाला सफाई का कार्य विलंबित हुआ है, इसे शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा। यह भी अवगत कराया

कि रू0 2 लाख से 10 लाख तक के कार्यो को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों जैसे वी0आई0पी0 के आगमन, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रू0 10 लाख तक के कार्यो की सामान्य निविदा कराई जाती है।

अध्यक्ष द्वारा दिनांक 17.06.2021 तक के लिये बैठक स्थगित की गयी।

दिनांक–15.06.2021 दिन मंगलवार को स्थगित सदन की बैठक जो दिनांक 17.06.2021 दिन गुरूवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सभागार में आहूत की गई का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष
2. श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
3. श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद / सदस्य
4. कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
5. श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
6. श्री मनोज कुमार गुप्ता	पार्षद / सदस्य
7. श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य
8. श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य
9. श्रीमती संगीता बाली	पार्षद / सदस्य
10. श्री अजीत	पार्षद / सदस्य
11. श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य
12. श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य
13. श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
14. श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य
15. श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
16. श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य
17. श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद / सदस्य
18. श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
19. श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य
20. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
21. श्रीमती कविता सिंह	पार्षद / सदस्य
22. श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
23. श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य
24. श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य
25. श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद / सदस्य

26. श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
27. श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
28. श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
29. श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य
30. श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य
31. श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद / सदस्य
32. श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद / सदस्य
33. कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य
34. श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य
35. श्री विजय कुमार	पार्षद / सदस्य
36. श्री अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
37. श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य
38. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
39. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद / सदस्य
40. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
41. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
42. श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
43. श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
44. श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
45. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
46. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
47. श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
48. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
49. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
50. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
51. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
52. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
53. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य

54. श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
55. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
56. श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
57. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
58. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
59. श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य
60. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
61. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
62. श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
63. श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
64. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
65. श्रीमती शशि साहू	पार्षद / सदस्य
66. श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
67. श्री राशिद आरफी	पार्षद / सदस्य
68. श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
69. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद / सदस्य
70. श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य
71. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
72. श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
73. श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद / सदस्य
74. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
75. श्री आमोद त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
76. श्री प्रशान्त शुक्ला	पार्षद / सदस्य
77. श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
78. श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
79. श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
80. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
81. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य

82. श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद / सदस्य
83. श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य
84. श्री अनुज गुप्ता	पार्षद / सदस्य
85. श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य
86. श्री शिवम् दीक्षित	पार्षद / सदस्य
87. श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
88. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
89. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य

नामित सदस्य

1. श्री सत्येन्द्र मिश्रा
2. श्री सरदार मंजीत सिंह
3. श्री शिव शंकर सैनी
4. श्री अतुल शुक्ला
5. श्री संदीपन अवस्थी
6. श्री प्रवीण सचान

अधिकारीगण

1.	श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2.	श्री भानु प्रताप सिंह	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री गुडाकेश शर्मा	सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण
4.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5.	डॉ0 श्री अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	डॉ श्री अमित सिंह	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7.	श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त
8.	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त
9.	श्री नीरज गौड़	महाप्रबन्धक, जलकल
10.	श्री एस0 के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता (सिविल)
11.	श्री आर0 के0 पाल	प्रभारी मुख्य अभि0(मार्ग प्रकाश)
12.	श्री राधे श्याम पटेल	सचिव नगर निगम

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया। नगर आयुक्त ने जनसम्पर्क अधिकारी को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

जनसम्पर्क अधिकारी ने एजेण्डा के प्रस्ताव सं0–4 से सदन के सदस्यों को अवगत कराया।

अध्यक्ष ने सर्वप्रथम पार्षदों को आज के सदन संचालन की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये कहा कि कोई भी पार्षद डेस्क पर नही आयेगा, वक्ता के अतिरिक्त सारे माइक बन्द कर दिये जाये। सभी दल के नेता जिसको कहेंगे वही बोलेगा, निर्दलीय पार्षद अपने हाथ उठायेंगे व अनुमति उपरान्त बोलेंगे। आज सदन में जिन प्रश्नों के जवाब नही दिये गये है, उसके जवाब जब तक नही मिलेंगे सदन के प्रश्नों का चलता रहेगा, पिछले सदन के पिछले सदन के प्रश्नों का जवाब दे। शहर के विकास के लिये जो भी पत्रावली आयी होंगी वह निश्चित रूप से स्वीकृत हो जायेंगी। शहर के विकास कार्य अवश्य होंगे।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने सभागार में प्रतिभाग कर रहे के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि माननीय महापौर जी की व नगर आयुक्त जी की बहुत अच्छी सोच है। स्मार्ट सिटी द्वारा एक ऐसे स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रान्त के बाहर से खिलाड़ी आयेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाया है। दस साल के लिये स्टेडियम किसी संस्था को दिया है, उसमें नगर निगम की क्या शर्त है, उससे भी अवगत करायें। यदि दस वर्ष बाद संस्था अपनी बात से मुकर जाये तो क्या होगा ? हमारी महापौर ने कोरोना काल के पूर्व जो सदन बुलाया था, उसमें कुछ नीतिगत फैसले लिये गये थे, लेकिन उनका पालन नही हुआ। 10–10 लाईटे कितने पार्षदों को मिली ? जब से आप महापौर बनी से तब से आज तक जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है या सेवानिवृत्त हुये है, उनकी खाली बीटों को कैसे भरा जायेगा ? विकास कार्यो की निविदायें 30% से 35% तक निम्न डाली जा रही है, तो वह कार्य क्या करेंगे। विकास कार्यो में 15% से अधिक निम्न निविदाओं को स्वतः निरस्त माना जाये। कोरोना काल में लाखों आदमियों ने अपनी जान दी है, कई लोग भुखमरी की कगार पर आ गये है, ऐसे में सभी ने एक–दूसरे की मद्द की है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि हाउस टैक्स के ब्याज पर पूरी छूट दी जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि माननीय महापौर जी जो इनवर्टर 01 लाख का है उसे 02.50 लाख में स्मार्ट सिटी से लिया जा रहा है। फूलबाग हम स्मार्ट बना नही पाये, एक चीज जरूर हुई है कि नगर निगम में ऊपर की बिल्डिंग स्मार्ट हुई है, जहाँ पार्षदों का जाना मना है, जबकि स्मार्ट सिटी में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की मंशा है कि आम नागरिकों से सुझाव लेकर कार्य कराये जाये किन्तु ऐसा नही किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी की क्या दुर्दशा है हम देख रहे है, मालरोड वाली सड़क आज तक नही बन पाई है। पूर्व में कई बार यूकोगावा कम्पनी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते है और उसके बाद भी उस कम्पनी से कार्य कराये जा रहे है। स्काडा के कार्यो में जलकल विभाग में डुप्लीकेसी हो रही है, धनराशि का अपव्यय हो रहा है। अभी हमारे भाई कमल शुक्ल 'बेबी' गृहकर के सम्बन्ध में कह रहे थे। मैं गृहकर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 से चक्रवृद्धि ब्याज सहित छूट दी जाये।

श्री महेन्द्र शुक्ला 'दद्दा' ने मा0 महापौर जी, नगर आयुक्त जी, सदन में उपस्थित अधिकारीगणों, पार्षद एवं पत्राकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि अभी कमल शुक्ल 'बेबी' जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि विकास कार्यो में 15% से अधिक निम्न की निविदाओं को स्वतः निरस्त माना जाये, मैं

इनकी बात से सहमत हूँ। हमारे विपक्ष के पार्षद दल नेता श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि वर्ष 2016 से गृहकर में चक्रवृद्धि ब्याज सहित छूट दी जानी चाहिये, मैं उनकी भी बात से सहमत हूँ। टैक्स कम होना चाहिये और इसमें छूट दी जानी चाहिये। भवनों के सर्वे हेतु एक कम्पनी जो लखनऊ से आयी है, वह अनियमितता कर रही है और किसी का मनमाने तौर पर बढ़ा रही है। पिछले सदन में जो प्रश्न पूछे गये थे उन प्रश्नों के उत्तर किसी भी अधिकारी द्वारा नही दिये गये है, जिससे पार्षद व्यथित है, उत्तर दिलवाया जाये। हमारे 10 पार्षद मनोनीत होकर आये है उनके भी कार्य कराये जाये। जलकल विभाग से पूछा जाये कि 02 हैण्डपम्प नये व 02 रिबोर कब तक लगाये जायेंगे ? कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्षद स्मार्ट सिटी में नही जा सकता है, हमें वहाँ जाने की अनुमति मिलनी चाहिये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि मा0 महापौर जी द्वारा आज सदन हेतु जो गाइडलाइन तय की गई है, हम सभी पार्षद उसका पालन करेंगे। पिछले सदन में कहा गया था कि कानपुर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग व जल निगम के अधिकारी बुलाये जायेंगे, क्या कानपुर विकास प्राधिकरण से कोई अधिकारी आये है। कानपुर महानगर के अन्दर जो मकान बन रहे है उसमें इनके अवर अभियन्ता जाकर नोटिस देते है और कार्य बन्द करा देते है। चार–छः माह बाद उन भवनों में कार्य पुनः चालू हो जाता है फिर फोन करने के बावजूद भी इनके अवर अभियन्ता साइट पर नही आते है। भवन निर्माताओं द्वारा मलवा व निर्माण सामग्री रोड व फुटपाथ पर डाली जाती है, जिससे नालियाँ बन्द हो जाती है, जिसे हमे साफ कराना पड़ता है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। कोरोना के पीक टाइम पर हिन्दुस्तान व प्रमुख समाचार पत्रों में कफन चोरो का मामला उठा था, जिसमें आप भी भैंरवघाट गई थी। उन कफन चोरो के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिये। जल निगम के द्वारा वाटर लाइन बिछा दी गई है किन्तु उन्हें आपूर्ति लाईनों से जोड़ा नही गया है, जिससे जगह–जगह लीकेज होने के कारण जलभराव होता है। इनके द्वारा जो लाईनें डाल दी गई है, पहले उनके इन्टरकनेक्शन कराये जाये तद् उपरान्त ही जल निगम को अगली धनराशि निर्गत की जाये। स्मार्ट सिटी में मा0 महापौर जी व 110 पार्षदों के नाम का शिलालेख लगवाया जाये।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि माननीय महापौर जी मेरा निवेदन है कि मैं बराबर 03 वर्ष से एक लोधन गांव राधा माधव नगर से लगा हुआ है, कानपुर विकास प्राधिकरण नाली बना रहा है, उसे नहरिया मसवानपुर से जोड़ा जाये, क्योकिं नानकारी में पूर्व से जल भराव होता है। आरा जी 1456,1652,446 सब बिक गयी, किन्तु एक गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया, न एक क्रियाघर न एक बारातशाला। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में है। 10 मड़इया के0डी0ए0 कर्मी गिरा कर आये है, वहॉ फिर से कब्जे हो गये है, परन्तु के0डी0ए0 कोई सुनवाई नहीं करता है, यदि एक अच्छा पार्क बन जाये तो जनता को लाभ होगा।

श्री आमोद त्रिपाठी ने कहा कि माननीय महापौर जी सर्वप्रथम सदन को वातानुकूलित करने के लिये धन्यवाद्। साथ ही अवगत कराना चाहता हूँ कि मालरोड में स्मार्ट सिटी द्वारा सुन्दरीकरण किया जा रहा है, वहाँ पर 100–150 लोग ठेला लगाकर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। जिससे उनकी परेशानियाँ बढ़ गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन ठेले वालों को कहीं न कहीं व्यवस्थित अवश्य किया जाना चाहिये। मालरोड में होटलों के सामने से वाहन पार्किंग हटा दी गई है। पानी व सीवर की लाईनें टूटी हुई है और ऊपर से टाइल्स लगा दी गई है। स्मार्ट सिटी वाले हम पार्षदों की सुनते ही नही मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ। चूंकि वार्ड में होटल अधिक है, अतः समुचित वाहन

पार्किंग तथा टूटी पानी एवं सीवर की लाईने ठीक कराई जाये। कोरोना काल के दृष्टिगत आपको भी हाउस टैक्स के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

श्री अमित मेहरोत्रा 'बबलू' ने कहा कि मा0 महापौर जी एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि पालिका स्टेडियम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम बनवाया जा रहा है, उसके लिये धन्यवाद्। मेरा अनुरोध है कि उस स्टेडियम के अन्दर तरणताल भी बनवा दिया जाये। महापौर जी मरे कम्पनी पुल के नीचे नाला टूटा है, जिसमें आये दिन जानवर गिरते है उसकी शीघ्र मरम्मत कराई जाये तथा मेरे वार्ड में ही स्थित प्राचीन काली मॉई अखाड़े का जीर्णोद्धार कराया जाये। वार्ड की सफाई समुचित ढंग से नही हो पा रही है, सफाई कर्मचारी दिये जाये। हूलागंज में पेठे का व्यवसाय बड़े स्तर पर है, प्रदूषण वालो ने उन्हें सीज करने हेतु नोटिस दिया है। मैं भी प्रदूषण के खिलाफ हूँ किन्तु उनके लिये भी कही न कहीं व्यवस्था अवश्य की जाये क्योंकि इस व्यवसाय से सैंकड़ों लोगो का जीवनयापन होता है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मैं आपके माध्यम से पूँछना चाहता हूँ कि बड़े बकायेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही हुई ? छोटे–छोटे बकायेदारों को कुर्की की नोटिस दी जाती है। बड़े–बड़े बकायेदार विभागीय मिलीभगत से छोटी–छोटी गलती पर जो न्यायालय चले जाते है। इसलिये यह व्यवस्था बनाई जाये जिससे बड़े बकायेदारों से भी सख्ती से वसूली की जाये। हमारे वार्ड में पेयजल की भीषण समस्या है। चक सं0–44 व 38 में पानी का प्रेशर अत्यधिक कम है, जिसके सम्बन्ध में मैंने कई बार कहा है, इसकी चिन्ता की जाये। पूर्व के सदन में जे0टी0एन0 कम्पनी के सम्बन्ध में मैंने अवगत कराया था, जिसमें आप द्वारा कहा गया था कि जे0टी0एन0 कम्पनी के अभिलेखों को सदन में उपलब्ध कराया जाये, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई।

श्री सौरभ देव ने कहा मा0 अध्यक्ष महोदया प्रस्ताव सं0–4 में पालिका स्टेडियम जो मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पालिका स्टेडियम भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है। कुलदीप यादव जो कानपुर से है और पूरे विश्व में कानपुर महानगर का मान बढ़ा रहे है। सभी को अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट अधिक पसंद है। यदि स्मार्ट सिटी से पालिका स्टेडियम में अन्य खेलो हेतु व्यवस्थायें की जायेंगी तो क्रिकेट खेलने वाले कहाँ जायेंगे। कानपुर से क्रिकेट के कई अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले है। स्मार्ट सिटी द्वारा जिस कम्पनी को पालिका स्टेडियम संचालन हेतु दिया जा रहा है, उसमें क्या नियम व शर्ते लगाई गई है, अवगत कराया जाये ? पालिका स्टेडियम के बगल में ही एक कामर्शियल ग्राउण्ड है, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है। वहाँ पर टीनशेड डालकर बाथरूम बनाया जा रहा है, क्या उसकी अनुमति ली गई है। क्या स्मार्ट सिटी के कार्यो को सदन के संज्ञान में नहीं लाया जाना चाहिये ?

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि हमारे वार्ड में रामलला मन्दिर है। रामलला की चरण पादुका का निर्माण रू0 3 करोड़ 66 लाख से हो रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने काम रोक दिया है। के0डी0ए0 बजट के बाद काम की बात करते है। चूंकि मा0 मुख्यमंत्री जी का सपना है, अतः इस पर भी निर्णय लिया जाये।

श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि मा0 महापौर जी जैसा कि पिछले सदन में मुख्य अभियन्ता द्वारा वार्डो के कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था किन्तु उसकी सूची नही दी गई है, सूची उपलब्ध कराई जाये। श्री आर0के0 सिंह द्वारा फोन नही उठाया जाता है। मेरे वार्ड में सी0यू0जी0एल0 को रोड कटिंग की अनुमति दे दी गई, जिसकी जानकारी मुझे नही दी गई। रोड कटिंग के नाम पर गोलमाल किया जाता है। सभी पार्षदों को रोड कटिंग की विस्तृत सूची दी जाये।

श्रीमती कीर्ति अग्निहोत्री ने कहा कि मा0 महापौर जी अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिये, जनता की समस्याओं का समाधान, सदन के माध्यम से होना चाहिये। कानपुर महानगर की जनता ने हम पार्षदों व मा0 महापौर जी आपको निर्वाचित कर भेजा था कि हम अपने–अपने क्षेत्र में कार्य करायें। मैं सभी अधिकारियों को विकास कार्य हेतु धन्यवाद् देती हूँ। मेरे वार्ड में बाबा आनन्देश्वर का मन्दिर है जहाँ प्रतिदिन हजारो श्रद्धालू दर्शन करने आते है स्वयं मा0 महापौर जी भी वहाँ प्रतिदिन दर्शन करने जाती है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कराई जाये। परमट घाट का भी सुन्दरीकरण कराया जाये, मैं चाहती हूँ कि सभी पार्षद इसका समर्थन करें। मेरे वार्ड के अन्तर्गत ग्रीन पार्क के पास एक बड़ी फलो की मण्डी लगती है, जहाँ से नगर निगम को कोई आमदनी नही होती है और दबंगों की मण्डी से वसूली करके रोजाना अच्छी कमाई होती है। अखाड़े से कब्जा हटवा कर उसे जनता हेतु दिया जाये। अवैध पार्किग हटवायी जाये।

श्री मो0 आमिर ने कहा कि मा0 महापौर जी जल निगम की कैसी टीम है ? जिसे किसी से मिलना नही, काम करना नही, अतः जल निगम की टीम बिल्कुल नकारा है। मैं सदन के माध्यम से आज उनका फूलो से स्वागत करूँगा। हमारे वार्ड में गूदड़ बस्ती है, नालों पर मकान बने होने के कारण जलभराव की स्थिति होती है। वी0आई0पी0 आगमन पर सफाई कर्मचारियों को बाहर लगा दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में कूड़ा उठान देर से होता है। मा0 महापौर जी जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है या सेवानिवृत्त हो गये है, उनके स्थान पर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कराई जाये। मेरे वार्ड में जो कब्रिस्तान आता है, जिसमें उसकी बाउण्ड्री से लगे मकानों के लोगो द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, जिसमें एक बार आग भी लग चुकी है। कृपया इसको दिखवाकर समस्या का समाधान कराया जाये।

श्री सुनील कनौजिया ने कहा कि मा0 महापौर जी पूर्व में आपने 10 तारीख को राखी मण्डी को लेकर बैठक की थी, जो बेनतीजा रही। आज मेरा कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से प्रश्न है कि आपने किसी योजना के हस्तान्तरण के लेआउट पर दोनो विभागों के अधिकारियों के हस्ताक्षर होते है, जबकि आपके लेआउट में किसी के हस्ताक्षर नही है। दो विभागों के बीच में राखी मण्डी पेन्डुलम की तरह झूल रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम के बीच जो भी हस्तान्तरण की प्रक्रिया है, उसे पूर्ण कराया जाये और कानपुर विकास प्राधिकरण से धनराशि प्राप्त कर विकास कार्य कराये जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मा0 महापौर जी बड़ी मेहनत से पार्षद सदन में चुनकर आता है और सोचता है कि हम सदन के माध्यम से कार्य करायेंगे। मा0 पार्षदों द्वारा सदन में उठाये गये प्रश्नों/कार्यो को नगर निगम प्रशासन गम्भीरता से ले और सकारात्मकता से जो कार्य हो सकते है, उसे कराया जाये, ऐसा आपसे मेरा अनुरोध है।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि मा0 महापौर जी नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर जोनल अधिकारी, जोनल अभियन्ता, जोनल स्वच्छता अधिकारी एवं जलकल विभाग के अधिशाषी अभियन्ता की एक टीम बनाकर पार्षदों के साथ वार्ड के सामूहिक निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका क्रियान्वन भी हुआ और उसकी एक रिपोर्ट नगर आयुक्त जी के पटल तक आयी किन्तु उसको क्रियान्वित नही किया गया, उसको क्रियान्वित कराया जाये तथा किस स्थिति में है अवगत कराया जाये। नगर निगम द्वारा पूर्व में एक वृहद वृक्षारोपण कराया गया था, मैं इसके लिये श्री वी0के0सिंह को धन्यवाद् देता हूँ वह पौधे आज भी चल रहे है, जिससे नागरिकों को राहत भी मिल रही है। कृपया शीघ्र एक वृहद वृक्षारोपण ट्रीगार्ड सहित कराया जाये। नगर निगम की गाड़ियाँ दूर–दूर डीजल भरवाने जाती है, जिससे काफी समय बर्बाद होता है। मेरा आपसे

सुझाव एवं निवेदन है कि जोनवार डीजल की व्यवस्था कराई जाये, जिससे समय बच सके, वार्ड में एक रिक्त पार्क पड़ा है। वहॉ अराजक तत्वों का जमावड़ा होता है। उसकी बाउन्ड्रीवाल बनायी जाये। मेरे वार्ड 8–10 बस्तियॉ है। पानी की उपलब्धता हेतु संजय नगर, रामाश्रय नगर, सेवा नगर इत्यादि में सबर्सिबल पम्प लगाया जाये।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि बर्रा–8 में अंधा कुँआ के समीप एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु मैं प्रस्ताव देता हूँ। क्षेत्र में जेड0पी0एस0 लगा है किन्तु जल निगम के नकारेपन से क्षेत्र को पानी नही मिल रहा है। बर्रा–8 में ग्रीनबेल्ट के दोनो तरफ रामगोपाल यादव चौराहे तक सड़क अत्यधिक खराब है, उसे पी0डब्ल्यू0डी0 अथवा नगर निगम से शीघ्र बनवाया जाये। मेरे वार्ड में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो आज तक पूर्ण नही हुआ है। मेरे कई प्रयासों के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही हेतु कहा गया था, किन्तु कुछ नही हुआ। इस पर शीघ्र कार्यवाही कराई जाये। बर्रा–8 में एक टयूब वेल का प्रस्ताव दिया था, जिससे डी, बी ब्लाक में पानी पहुंच सके। बर्रा–8 से तात्याटोपे नगर के लिये पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कार्यदायी संस्था नगर निगम है, उसको शीघ्र कराया जाये।

श्री मो0 अमीम खान ने कहा कि अध्यक्ष महोदया हमारे वार्ड–97 में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जलकल को कई बार अवगत कराया गया किन्तु धनाभाव के कारण कार्य नही हुआ। नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कानपुर महानगर नगर को डिस्ट्रिक्ट–1 व डिस्ट्रिक्ट–2 में बॉटकर कार्य कराया जा रहा है, जो उचित नही है। हमारे सामने वाले वार्ड में कार्य हो रहा है और हमारा वार्ड डिस्ट्रिक्ट–2 में आने के कारण कार्य नही हो रहे है। हमारे कार्यकाल के लगभग डेढ़ वर्ष शेष है, कार्य कराये जाये। वार्ड में सफाई कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मचारी दिये जाये। हाथ कूड़ा गाड़ी में इतनी धांधली हुई है कि उसके पहिये लोहे की पत्ती से बने थे, उसकी जाँच कराई जाये। कृपया प्रत्येक वार्ड में 10–10 हाथ कूड़ा गाड़ियाँ दी जाये। क्षेत्र में 05 हैण्डपम्प भी बंद पड़े है, उन्हें भी चालू कराया जाये।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि कानपुर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग व जल निगम के अधिकारियों द्वारा परिचय करा दिया जाये, जिस पर अधिकारियों ने एक–एक कर अपना परिचय दिया।

श्री शमीम अख्तर, परियोजना प्रबन्धक, जल निगम के परिचय देते समय ही जल निगम कार्यप्रणाली से पूरे शहर की दुर्दशा के दृष्टिगत कतिपय पार्षदो द्वारा गांधीगिरी के साथ सभागार में माल्यार्पण करते समय धक्का–मुक्की भी हुई।

.....

.....

अपरान्ह 12:50 बजे सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित की गई।

.....

अपरान्ह 01:25 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने कहा कि हमारे जिन पार्षदगणों ने हमारे जल निगम के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं आज की कार्यवाही से उनको निस्कासित करती हूँ। तद्नुपालन में श्री मो0 आमिर, श्री मो0 अमीम खान व श्री नूर आलम सदन सभागार से बाहर चले गये।

श्री सोहेल अहमद ने कहा कि जल निगम की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होने के कारण ही श्री शमीम अख्तर, परियोजना प्रबन्धक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ।

नगर आयुक्त ने कहा कि विरोध व्यक्त करने का तरीका गलत तथा सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सदन में जो स्थितियाँ हुई है, उसके लिये आपने पार्षद साथियों को बाहर कर दिया है, लेकिन आप बैठी है फिर भी अधिकारी नही है, हम सभी पार्षद इसकी निन्दा करते है। इस पर भी कार्यवाही होनी चाहिये।

अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्य है कि कानपुर महानगर में जल निगम द्वारा डाली गयी जलापूर्ति लाईन/सीवर लाईनों में लीकेज के कारण सड़के तथा अन्य अवस्थापना सुविधायें प्रायः ध्वस्त रहती है। परिणामस्वरूप पूरा शहर कराह रहा है, जिसका उत्तरदायी जल निगम ही है, परन्तु विरोध करने का ढंग सही नहीं है, क्योंकि सदन की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिये। आज की परिदृश्य को प्रदेश स्तर पर उठाऊँगी, इसी के साथ आज की बैठक स्थगित की जाती है।

दिनांक– 22.06.2021 दिन मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त।

<u>उपस्थिति</u>

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष
2.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
3.	श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद / सदस्य
4.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
5.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य
6.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
7.	श्री मनोज कुमार	पार्षद / सदस्य
8.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य
9.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य
10.	श्रीमती संगीता बाली	पार्षद / सदस्य
11.	श्री अजीत	पार्षद / सदस्य
12.	श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य
13.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य
14.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
15.	श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य
16.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
17.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद / सदस्य
18.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य
19.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
20.	श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य
21.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
22.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
23.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य
24.	श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य
25.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
26.	कु0 विधि राजपाल	पार्षद / सदस्य
27.	श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
28.	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य
29.	श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य
30.	श्री मुकेश	पार्षद / सदस्य
31.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य
32.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
33.	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य
34.	श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य

35.	श्री विजय कुमार	पार्षद / सदस्य
36.	श्री अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
37.	श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य
38.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
39.	श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद / सदस्य
40.	श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
41.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
42.	श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
43.	श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
44.	श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
45.	श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
46.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
47.	श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
48.	श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
49.	श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
50.	श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
51.	श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
52.	श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
53.	श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
54.	श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
55.	श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
56.	श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
57.	श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
58.	श्री राजीव सेतीया	पार्षद / सदस्य
59.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
60.	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
61.	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
62.	श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
63.	श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
64.	श्रीमती शशी साहू	पार्षद / सदस्य
65.	श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
66.	श्री रशीद आरफी	पार्षद / सदस्य
67.	श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद / सदस्य
68.	श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद / सदस्य
69.	श्रीमती सुमन द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
70.	श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य
71.	श्रीमती सायमा परवीन	पार्षद / सदस्य
72.	श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य

73.	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
74.	श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद / सदस्य
75.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
76.	श्री आमोद त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
77.	श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
78.	श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
79.	श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
80.	श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
81.	श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद / सदस्य
82.	श्री मन्नूरहमान	पार्षद / सदस्य
83.	श्री अनुज गुप्ता	पार्षद / सदस्य
84.	मोहम्मद आरिफ	पार्षद / सदस्य
85.	श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
86.	श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
87.	श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
88.	श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य

नामित सदस्य

1.	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	मनोनीत पार्षद
2.	श्री सरदार मंजीत सिंह	मनोनीत पार्षद
3.	श्री शिव शंकर सैनी	मनोनीत पार्षद
4.	श्री सुनील वाल्मीकि	मनोनीत पार्षद
5.	श्री अतुल शुक्ला	मनोनीत पार्षद
6.	श्री संदीपन अवस्थी	मनोनीत पार्षद
7.	श्री प्रवीण सचान	मनोनीत पार्षद

1.	श्री अमिताभ बाजपेयी	सदस्य विधानसभा / पदेन सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री अक्षय त्रिपाठी,	नगर आयुक्त
2.	श्री भानु प्रताप सिंह,	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी,	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
4.	डॉ अजय संख्वार,	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5.	डॉ अमित सिंह,	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	श्री नीरज गौड़, महाप्रबंधक,	जल कल विभाग
7.	श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी,	सचिव, जल कल विभाग
8.	श्री अरविन्द कुमार राय,	अपर नगर आयुक्त

9. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
10. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल)
11. श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी वित्त जल कल विभाग
12. श्री स्वर्ण सिंह, उप नगर आयुक्त
13. श्री सूरज सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
14. श्री रमेश कुमार पाल, प्रभारी मार्ग प्रकाश।
15. श्री राधे श्याम पटेल, सचिव,नगर निगम
16. श्री अतुल मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण
17. श्री ए0के0 राव, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग

बैठक की कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ हुई ।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सर्वप्रथम कानपुर विकास प्राधिकरण, पी0डब्ल्यू0डी0, जल निगम, सिंचाई विभाग से बैठक में प्रतिभाग कर रहे अधिकारियों द्वारा मंच पर आकर अपना–अपना परिचय दिया जाये तदोपरान्त दिनांक 17.06.2021 की बैठक में पार्षदा द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिलाया जाये।

तद्नुक्रम में नगर आयुक्त के निर्देश पर जन सम्पर्क अधिकारी ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारी से मंच पर आकर अपने परिचय के साथ जवाब प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

श्री सुनील कनौजिया ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि महोदया जूही राखी मण्डी योजना के हस्तानान्तरण की स्थिति स्पष्ट न होने से क्षेत्रीय निवासियों को सीवर, पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि योजना नगर निगम को वर्ष 1978 मे ही हस्नान्तरित कर दी गयी है, जबकि जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूछे गये सवाल में सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण ने आयुक्त महोदय एवं शासन को जवाब भेजा है कि योजना वर्ष 2013 में हंस्तानान्तरित हुई है, इससे भ्रम की स्थिति बन रही है। अतः आज सबसे पहले स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। जिससे क्षेत्रीय नागरिको की समस्याओं का समाधान कराते हुए विकास कार्य कराये जा सके। इसी प्रकार जूही थाने के पीछे 26 भूखण्डों की आवासीय योजना नगर निगम को हस्तानान्तरित कर दी गयी, परन्तु जल कल विभाग को हस्तानान्तरित नही की गयी। इसके लिये कहा जा रहा है कि नगर निगम को हस्तानान्तरण गलत कर दिया गया, इस योजना में भी भ्रम पैदा किया जा रहा है क्या किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व/जवाबदेही नही बनती कि समुचित निराकरण किया जाये ? मेरा एकमात्र उद्देश्य वार्ड मे विकास कराने का है।

कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से श्री अतुल मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता, जोन–3 ने जूही राखी मण्डी के सम्बन्ध में अवगत कराया कि यह योजना दिनांक 30.05.1978 को कानपुर नगर निगम को हस्तानान्तरित हुई है। इसकी रजिस्ट्री भी नगर महापालिका द्वारा की गयी है। नगर निगम ने 2012 में 02 शौचालय भी निर्मित किया है नगर निगम द्वारा गृह कर वसूली भी की जा रही है। शासनादेश वर्ष 1983 के अनुसार नगर निगम जहॉ से गृह कर वसूली करेगा, वह योजना स्वतः हस्तनान्तरित मानी जायेगी। के0डी0ए0 के पुराने लोग बताते है कि वहॉ सीवर लाईन पड़ी है। पुनः स्पष्ट करते हुये अवगत कराया कि जूही थाने के पीछे एस–ब्लाक में 26 भूखण्डो की आवासीय योजना वर्ष 2011 की है। जिसे वर्ष 2018–19 मे नगर निगम

को हस्तानान्तरित किया जा चुका है। जल कल विभाग से समबन्धित आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, परिणामस्वरूप शीघ्र ही हस्तानान्तरण धनराशि के साथ जल कल विभाग को एस–ब्लाक 26 भूखण्डो की आवासीय योजना भी शीघ्र हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि विकास प्राधिकरण राखी मण्डी का उचित ले–आउट उपलब्ध करा दें, ताकि सड़क कहॉ है ? गली कहॉ है तथा कानपुर नगर निगम/विकास प्राधिकरण की स्थिति क्या है ? ले–आउट के उपरान्त नगर निगम के अधिशाषी अभियन्ता, जोनल अधिकारी एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारी एक साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। तद्नुसार सीवर लाईन और वाटर लाईन का कार्य कराये जाने हेतु सूचना के0डी0ए0 को भी दी जाये। क्यों कि सड़क, मार्ग प्रकाश, नाली इत्यादि विकास कार्य कराने अतिक्रमण हटाते हुए कराये जाने है।

अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त निरीक्षण हेतु एक समिति बना लें, जिसमें के0डी0ए0, नगर निगम के अधिकारी एवं पार्षद भी हो, समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दें, क्योंकि वहॉ की जनता के0डी0ए0, नगर निगम और जल कल के चक्कर में परेशान हो रही है। ले–आउट प्राप्त कर जहॉ अवैध कब्जे हो, जोनल अधिकारी, जोनल अभियन्ता और कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी चिन्हांकन कराते हुए हटाये जाने की कार्यवाही करायें साथ ही यह भी दिखवाया जाये कि बहुमंजिले भवनो का क्या मानचित्र स्वीकृत है, अन्यथा की स्थिति में कानपुर विकास प्राधिकरण की जवाबदेही बनेगी।

श्री कमल शुक्ला बेबी ने कहा कि वर्ष 1973 में कानपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 1980 स्वरूप नगर में मुझे के0डी0ए0 द्वारा कार्यालय हेतु जमीन आवंटित की गयी। वहीं बगल में कन्नौज के एक व्यापारी द्वारा नक्शा पास कराकर 80 वर्ष पुराने भवन में बेसमेन्ट की खुदाई कर रहा है, जिससे उनका कार्यालय ध्वस्त हो सकता है, श्री कमल शुक्ला बेबी ने बेसमेन्ट खुदाई पर रोक लगाने की मांग की ताकि कुली बाजार जैसी घटना की पुरावृत्ति न हो।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि के0डी0ए0 नक्शा पास करता है, मलवा शुल्क भी लेता है, किन्तु मलवा सड़को पर पड़ा रहता है, नालियॉ जाम हो जाती है, गलियों मे सालो मलवा पड़ा रहता है। बरसात में चलना मुश्किल हो जाता है। गोविन्द नगर रामलीला ग्राउन्ड, बी–ब्लाक में कई मकान बन रहे है, उनकी सूची भी उपलब्ध करा सकते है। के0डी0ए0 के अधिकारी वित्तीय अनियमितता में लिप्त है। जो नियमों को ताक पर रखकर कार्य करातें है और सारी अव्यवस्था नगर निगम को झेलनी पड़ती है।

अध्यक्ष ने कहा कि पूरे शहर में अवैध रूप से काबिज लोग 4–5 मंजिली इमारत तैयार कर लेते है, इनका लेण्टर कैसे पड़ता है, इसकी विस्तृत जॉच होनी चाहिए।

श्री सुमित कुमार पाल, पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड के अन्तर्गत राम गंगा आवासीय योजना में भू–माफियाओं ने सड़क, चक रोड सब बंद दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने न कोई सड़क बनाई है और न कोई भू–माफियाओं पर कार्यवाही ही की है।

श्री अतुल मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि अधिनियम 1973 की धारा–27 के अनुसार कार्यवाही करते है। निर्माणकर्ता को नोटिस देते है। बाद में सम्बन्धित थाने को पत्र प्रेषित कर धारा 28 (2) के अन्तर्गत कार्यस्थल को सील करा देते है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि विगत कई वर्षो का बकाया मलवा शुल्क 4 करोड़ 50 लाख इस वर्ष कानपुर विकास प्राधिकरण किश्तो में नगर निगम को भुगतान करेगा। मलवा शुल्क उसी का मिलता है जिसका नक्शा पास होता है। संज्ञान में लाया गया है कि है कि अभी तक कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत 40 हजार मकानों का ही नक्शा पास है। अध्यक्ष की अनुमति से कानपुर विकास प्राधिकरण से बात की जायेगी। नक्शा पास न होने के कारण समस्या आती है।

श्री अर्पित यादव, पार्षद ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बर्रा–8 में वर्ष 2015 से एक सामुदायिक केन्द्र बनवाया जा रहा है, जहॉ वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है, यह कब तक बनेगा ? मौरंग मण्डी में 100 बेड का अस्पताल बनाने की भी योजना थी, उस स्थान पर लोग अवैध कब्जा कर रहे है तथा प्लाटिंग कराई जा रही है।

श्री अतुल मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता, के0डी0ए0 ने बताया कि बर्रा–8 में सामुदायिक केन्द्र के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा रही थी, किन्तु ठेकेदार के परिवार में कुछ समस्या थी, जिसके कारण उसे अगस्त –2021 तक का समय दिया गया है। मौरंग मण्डी, नौबस्ता में 100 बेड के अस्पताल हेतु 10 हजार वर्ग मीटर स्थान रिक्त है, चिकित्सा विभाग को वर्ष 2015 में दे दिया गया है। अवैध कब्जे स्वयं हट जायेंगे।

श्री शिवशंकर सैनी, नामित पार्षद ने कहा कि कानपुर नगर निगम की दबौली में जमीन है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना विकसित कर ली है क्या के0डी0ए0 नगर निगम को मुआवजा देगा ?

श्री अशोक पाल ने कहा कि वार्ड–36 बिना मानचित्र स्वीकृति के अनेक भवन निर्माण हो रहे है, परन्तु के0डी0ए0 कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग प्रस्ताव दे, जिससे शासन को पत्र प्रेषित किया जा सके। पत्र में लिखा जाये कि विगत 10 वर्षो में जितने अवैध निर्माण हुये है, इसके लिये तत्कालीन अवर अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री सौरभ तिवारी पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड मे स्वर्ण जयन्ती विहार पार्ट–1 नगर निगम को हस्तानान्तरित हो चुकी है। इसमें के0डी0ए0 की बारातशाला बनी है, चाभी के0डी0ए0 के ठेकेदार के पास है। के0डी0ए0 की कई बीघा जमीन खाली पड़ी है, सभी पर अवैध कब्जा हो रहा है। सीवर लाईनों का निकास नालो मे ंहो रहा है। सनिगवां में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत के0डी0ए0 द्वारा 855 भवन बनाये गये है, जिनपर कब्जे हो रहे है। अतः मेरा सुझाव है कि के0डी0ए0 नगर निगम एवं पार्षद के साथ कमेटी बनाकर जॉच कराये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि कानपुर विकास प्राधिकरण , नगर निगम, जलकल विभाग तथा पार्षद सहित की एक निगरानी समिति बनाकर हस्तानान्तरित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करवाया जाये, तद्नुसार उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ बैठक आयोजित करते हुये समाधान निकाला जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता'मोनू', पार्षद ने कहा कि के0डी0ए0 की योजनाओं में वाहन पार्किंग का ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि वाहन पार्किंग किसी योजना में निर्धारित की जाती है, तो कुछ समय के पश्चात् कतिपय

लोगो द्वारा दुकाने बना ली जाती है, इससे यातायात प्रभावित होता है। अतः पार्किंग स्थलो का अतिकमण हटाया जाये।

श्री रमेश हटी, पार्षद ने कहा कि लक्ष्मीपुरवा 85/65, शक्कर मिल खलवा मलिन बस्ती को 6 जुलाई 1979 में के0डी0ए0 ने अधिग्रहण किया था, वहॉ पर तालाब भी था, भू–माफिया जबरदस्ती प्लाट बनाकर बेच रहा है। मेरे विरोध करने पर भू–माफिया द्वारा मार–पीट की गयी, तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी। जिसका मुकदमा भी दर्ज कराया था, किन्तु उसका भाई वकील है, कचहरी से उसने मुकदमे की फाईल गायब करा दी। 85/65 मलिन बस्ती है, जिसकी रजिस्ट्री आज तक के0डी0ए0 द्वारा नहीं की गयी है। मलिन बस्ती के लोगो को मालिकाना हक दिलाया जाये तथा प्रश्नगत तालाब खाली कराया जाये। मान्यवर कांशीराम कॉलोनी की समस्या का हल कराया जाये।

श्री विकास जायसवाल, पार्षद ने कहा कि के0डी0ए0 ने सिंचाई विभाग से जमीन लेकर 2003 में केनाल रोड में दुकानों का आवंटन किया तथा नगर निगम को हस्तानान्तरित भी कर दिया गया है। उक्त जमीन में ही नगर निगम का डंप है वहीं पर नगर निगम द्वारा बाराातशाला निर्माण कराया जा रहा है। के0डी0ए0 द्वारा बाराशाला निर्माण पर नोटिस दी गयी है, उक्त नोटिस रद्द की जाये। जब नगर निगम को स्थल हस्तानान्तरित है, तो प्राधिकरण द्वारा नोटिस कैसे निर्गत की गयी। विकास प्राधिकरण द्वारा जो दुकाने आवंटन की गयी है, उसमें अवैध रूप से लोग निवास भी कर रहे है।

श्री गिरीश चन्द्रा, पार्षद ने कहा कि निराला नगर में के0डी0ए0 ने आवासीय प्लाट आवंटन किये है। नक्शे में 100 फुट सड़क है जो मौके पर 60 फुट है। भूमि सिंचाई विभाग की है। इसे के0डी0ए0 किस प्रकार बेच रहा है।

श्री दुर्गा प्रसाद, पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड नौबस्ता पूर्व मे 10 प्रतिशत ही भूमिगत पानी बचा है वार्ड–63 में 10 तालाब है, 3 बीघा जमीन चारागाह है। यशोदा नगर में ज्यादातर भूमि पर अवैध कब्जा है। मछरिया में किसी के पास कोई कागज नहीं है, 4–6 मंजिले मकान बने हुये है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र गंगापुर में किराये पर चल रहा है। पवन खन्ना इंटर कॉलेज के पीछे के0डी0ए0 की भूमि है। उक्त भूमि पर ही प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बन जाये, तो जनहित के लिये अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि के0डी0ए0 अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित समस्याओं को नोट कर लें, तद्नुसार सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण एक साथ बैठकर करायें।

श्री राजीव सेतिया, पार्षद ने कहा कि रामपुरम, कृष्णा रेजीडेन्सी में बिना नक्शा पास कराये अवैध निर्माण हो रहा है। मलबा शुल्क जमा नहीं हो रहा है। नगर निगम की राजस्व हानि हो रही है। आवासीय कॉलोनी की जॉच कराई जाये। के0डी0ए0 और ग्राम समाज की जमीन है। भू–माफिया बेच रहे है। आयुक्त ने भी जॉच कराई है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि जॉच हो चुकी है, जॉच पत्रावली आयुक्त, मण्डल, कानपुर को प्रेषित होनी है।

श्री महेन्द्र शुक्ला, पार्षद ने कहा कि 10–10 हाथ ठेला, सफाई कर्मी भर्ती होने की बात कही गयी। उद्यान विभाग में माली नहीं है। घास की कटाई, वार्ड की सफाई कैसे होगी ? पूर्व की बैठको में लिये गये निर्णयों का अनुपालन कराया जाये। अन्यथा किसी दिन आमरन अनशन पर बैठ जाऊँगा।

अध्यक्ष ने कहा कि सभी 110 वार्ड के पार्षद अपने दल के नेता के माध्यम से मुझे लिखकर दे कितने सफाई कर्मी सेवानिवृत्त हुये है ?, कितने की मृत्यु हुई है ?, तद्नुसार नगर आयुक्त को निर्देशित करूँगी कि सफाई कर्मियों की भर्ती कार्यवाही कराये।

तत्सापेक्ष अपराह्न 12:15 पर 15 मिनट के लिये बैठक की कार्यवाही स्थगित हुई।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् अपराह्न 12:30 मिनट पर बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

नगर आयुक्त ने कहा कि सदस्यों को 03 बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ। हाथ कूड़ा गाड़ी, मार्ग प्रकाश तथा सफाई कर्मचारियों की कमी। कूड़ा गाड़ी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में यूपी0 एग्रो के माध्यम से कूड़ा गाड़ियों की खरीद हुई है। यूपी एग्रो की गाड़ी मजबूत होती है। प्रत्येक जोन के वार्डो में 10–10 गाड़ियों के दृष्टिगत लगभग 1100 कूड़ा गाड़ी, जिनकी खरीद में लगभग रू0 55–60 लाख की धनराशि व्यय होगी । जिसकी स्वीकृति आज के सदन की बैठक में प्राप्त कर क्रय कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। मार्ग प्रकाश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जो नये खम्भे लगे है, उसमें मार्ग प्रकाश हेतु 576 लाईटों के क्रय का प्रस्ताव है। प्रत्येक वार्ड में 10–10 मार्ग प्रकाश बिन्दु हेतु वार्ड के हिसाब से एक जोन का लगभग रू0 16 से 18 लाख का खर्च आयेगा, जिसे जेम (ZEM) पोर्टल के माध्यम क्रय किया जायेगा। सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 01 जनवरी 2018 से मृत/सेवानिवृत्त कर्मियों की आपूर्ति की गणना की जायेगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर 54–55 वार्डो में 204 से 210 कर्मी रखे गये है। आपूर्ति के उपरान्त जो शेष बचे है, उनमें जोनो के आधार पर कार्मिक/स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड देखकर नियमित/संविदा/आउटसोर्स या मृत/सेवानिवृत्त है, उसमें जो अन्तर है, पे–रोल से देखकर आपूर्ति की जायेगी साथ ही यह भी कहा कि बहुत लम्बे अर्से से मार्ग प्रकाश की बात हो रही थी, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गये है। हमारा जो बजट पास हो रहा है, उसमें अधिष्ठान व्यय पर ज्यादा भार होगा। उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जिसे मा0 महापौर जी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि 576 लाईटों की खरीद हो रही है, वार्डो में 10–10 लाईटो भी मिल जायेंगी, कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था भी हो जायेगी, पर कहना है कि कुछ पार्षदो का एरिया छोटा है, कुछ का आर्यनगर विधानसभा के बराबर एरिया है। अतः उसका सर्वे करा ले और आवश्यकता के अनुसार मार्ग प्रकाश, कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था कराई जाये।

श्री अमिताभ वाजपेई ने कहा कि पदेन सदस्यों का भी ध्यान रखा जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुये कहा कि निर्वाचित पार्षदो के साथ ही 10 नामित पार्षद है, उन्हें भी 5–5 सफाई कर्मी 1–1 कूड़ा गाड़ी दी जाये। पदेन सदस्य विधायक या सांसद यदि मुझे पत्र प्रेषित करते है, तो उस पर भी वांछित कार्यवाही कराई जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियो की नियुक्ति वार्ड के लिये होती है, नामित पार्षद जिस वार्ड में कर्मचारी लगाना चाहते है, उन्हें वार्ड, पता लिखकर देना होगा। आडिट विभाग की अनापत्ति पर उस क्षेत्र में कर्मियों की तैनाती की जा सकेगी।

अध्यक्ष ने कहा मालियों की संख्या भी काफी कम है, इनकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कि वर्ष 1973 में नगर महापालिका एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के विभाजन के समय नगर महापालिका कार्मिक विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मालियों के 287 पद सृजित है, वर्तमान में 86 नियमित माली तथा 138 माली सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से कार्यरत है। सृजित एवं कार्यरत में जो अन्तर है, उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखते हुये पदो की स्वीकृति के साथ सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से विभिन्न वार्डो के पार्को कर्मी रखे जायेंगे।

श्री आमोद त्रिपाठी ने कहा कि विभिन्न जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के यहॉ मालियों की तैनाती है, जबकि पार्क खाली पड़े है, इस पर विचार किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि जो भी माली है उनके संख्या के अनुसार कार्यस्थल पर तैनाती का स्थान तद्नुसार सूचना उपलब्ध हो जायेगी अन्यथा जो अधिकारी यहॉ नहीं हैं, उन पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं हैं ।

श्री कमल शुक्ला बेबी ने कहा कि कोरोना काल में लाखो लोग मरे है, कोरोना के कारण व्यवसाय प्रभावित हुये है। मध्यमवर्गीय काफी परेशान है। 5 लाख भवन स्वामियों को ब्याज सहित टैक्स के बिल भेजे जा रहे है। यदि प्रधानमंत्री मुफ्त वैक्सीन दे सकते है, तो नगर निगम, कानपुर को ब्याज की छूट देनी चाहिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही छूट दी जा सकती है।

श्री अमिताभ वाजपेई, विधायक/पदेन सदस्य ने कहा कि सदन काफी अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है। सभी वार्डो पार्षदो को लाईटे दी जा रही है। मै सभी पदेन सदस्यों की सिफारिश पर लाईटो की मांग रख रहा हूॅ कि पदेन सदस्यों को भी लाईटे दी जाये। मै उद्योग जगत के सिरमौर देश में ख्याति प्राप्त हम सबके नेता, जो 04 बार सांसद भी रहे, स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा आज हम सबके बीच नहीं रहे। व्यापारी नेता ने पूरे देश में नाम रौशन किया। अतः स्व0 पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के नाम से कलक्टरगंज चौराहा एवं मुख्य सड़क का नामकरण किया जाये और स्मारक भी बनाया जाये। यह प्रस्ताव आपको इस अनुरोध के साथ हस्तगत (टेबुल) कर रहे है कि सदन के माध्यम से इसे स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव मेरे पास पूर्व में भी आ चुका है। स्व0 पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पूर्व सांसद/व्यापारी नेता के लिये हम सभी इसे अनुमोदित करते है।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्वीकृत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजते हुए अनुपालन कार्यवाही कराई जायेगी।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि 2016 से बढ़ा हुआ टैक्स लगा है इससे पूर्व सभी भवन स्वामी टैक्स देते आ रहे है अब ब्याज सहित टैक्स देना है। वर्ष 2017 के निकाय निर्वाचन में हम सभी को बकाया न

होने की एन0ओ0सी0 दे दी गयी। ऐसे में जो पार्षद चुनाव लड़े या तो टैक्स गलत है या एन0ओ0सी0 गलत है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 25 के अनुसार यदि टैक्स वापस नही लेते है तो चुनाव खतरे में है। यदि 01 वर्ष के भी बकायेदार है तो टैक्स नहीं ले सकते है। व्यावसायिक कर बिना कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति वर्ष 2008 के सर्किल रेट से बढ़ा दिया गया। यदि हम सभी से टैक्स नहीं वसूल पाये तो आम जनता का क्या दोष है ? जो कर के दायरे में भवन नहीं है, उन्हें कर की परिधि में नहीं लाया जा रहा है। ईमानदार भवन स्वामियों पर टैक्स वृद्धि थोपी जा रही है। वर्ष 2008 में भवनों पर व्यावसायिक दरों की गणना 2002 के सर्किल रेट से की गयी है। अतः सुझाव है कि छूटे भवनों की कर परिधि में लाकर बिना टैक्स वृद्धि के जनता की वाहवाही ली जा सकती है।

अध्यक्ष के निर्देश में नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि दो अलग–अलग बाते है, जो बिल दिया जाता है, वह प्रोविजनल बिल है। वर्ष 2016 के प्रोविजनल बिल के सापेक्ष ही एन0ओ0सी0 दी गयी है। कर माफी के सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221 में निम्न नियम है :–

221–1– ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, जो उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो, छूट का जितनी बार आवश्यक समझे नवीनीकरण कर सकती है।

221–2– में प्राविधान है कि राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

221–3–में प्राविधान है कि राज्य सरकार की आज्ञा से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सन् 2000 की स्वकर प्रणाली 2008 में लागू हुई वर्ष 2013 की नियमावली दिनांक 01–04–2016 से प्रभावी की गयी है, इसमें यह प्रावधान करना मुश्किल है कि किस पर लागू होगी ?, किस पर नहीं ? अतः आडिट, लेखा, विधि विभाग एवं पार्षद की कमिटी बना दी जाये। आने वाले 2–3 महीनों में जब तक समिति का निर्णय नहीं जाता, तब तक वसूली हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी एवं मुख्य नगर लेखा परीक्षक से बात करके अवगत करा दूंगा। वर्तमान में इस साल कोविड के कारण विभाग की मात्र 14–15 करोड़ की वसूली जो पायी है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा एक साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिससे भवन स्वामी चाहे तो स्वकर प्रणाली अपना सकते है।

श्री गिरीश चन्द्रा पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड 07 में 08 मलिल बस्ती है, किसी का नाम गलत है, किसी का पता गलत है। इससे टैक्स वसूली पर प्रभाव पड़ रहा है। संशोधन करने से जोन मना करता है। वार्ड–7 निराला नगर के सारे लोगो का बिल बढ. कर आ रहा है। जोनल अधिकारी द्वारा कराई गयी जॉच मे भी 10 घरो में ज्यादा बिल पाया गया है। अतः त्रृटि सुधार हेतु विचार किया जाये।

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कर निर्धारण में अन्तर है, तो नगर निगम साफ्टवेयर (software) पर भवन के विस्तृत एरिया का विवरण भरकर स्वयं चेक कर सकता है। स्वकर ही

सही करके दे देगा, तो टैक्स अपने आप सही हो जायेगा। जल्द ही साफ्टवेयर (software) कानपुर नगर निगम की बेब साइट kmc.up.nic.in पर अपलोड करा दी जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ''मोनू'' ने कहा कि 2021 में नया टैक्स लगाने प्रयास किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2008 के मामले लम्बित है। कब तक निस्तारण होगा ? यदि पुरानी व्यवस्था लम्बित है, तो नयी व्यवस्था में निस्तारण कैसे होगा? जब पार्षदो की यह स्थिति तो आम नागरिकों की क्या दशा होती होगी ?, समझा जा सकता है

श्री नवीन पंडित ने कहा कि जब जी0आई0एस प्रणाली लागू की गयी थी, तब तत्कालीन नगर आयुक्त श्री आर0 विक्रम सिंह ने कहा था कि टैक्स में जो त्रुटियां है, उन्हें बाद में संशोधित किया जायेगा, किन्तु आज तक अनन्तिम संशोधन जारी है। दाखिल–खारिज ऑन लाईन पोर्टल पर जमा किया जा रहा है। ऑन लाईन बंद हो गया है। पोर्टल से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मै मांग करता हूँ कि हर वार्ड में संशोधन शिविर लगाया जाये। ताकि बिलों का संशोधन जनता करा सके। स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों को लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर कानपुर नगर निगम में भी टैक्स व ब्याज में छूट प्रदान की जाये। नगर निगम द्वारा पार्को मे हाईमास्ट लाईटों के खंभे लगा दिये गये है, जो टिक नहीं पा रहे है, मेरे वार्ड में 04 हाईमास्ट लाईटो के खंभे खड़े है, किन्तु लाईटे नहीं लग पाई है, कहा जाता है कि धनाभाव है।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि दिनांक 01.04.2016 से गृह कर बढ़ाते हुए ब्याज सहित भेजे जा रहे गृह कर बिल हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 97 के अन्तर्गत समिति बनाकर जिसमें पार्षदो भी सदस्य हो, तीन माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण कराये साथ ही सभी वार्डो में शिविर लगाकर गृह कर बिलों में त्रुटियों को संशोधित करने की कार्यवाही कराई जाये।

कु0 लक्ष्मी कोरी ने कहा कि मेरे वार्ड में 07 मलिन बस्तियॉ है। मेरे साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र की प्रमुख सड़के भी नहीं पाई है। जनता को आने–जाने में परेशानी होती है। मेरा वार्ड सीसामऊ नाले के किनारे है। सीसामऊ नाला आधा खुला हुआ है, नाला 15–20 फुट गहरा है। बच्चे किनारे खेलते हैं सीसामऊ नाला सिल्ट से भरा है, जिससे क्षेत्र में 5–5 फुट पानी भर जाता है। अतः नाला सफाई कराते हुए खुले नाले पर स्लैब डालने का कार्य कराया जाये।

अध्यक्ष द्वारा अपराह्न 01:50 बजे आधे घण्टे के लिये बैठक की कार्यवाही स्थगित की गयी।

.....

अपराह्न 02:30 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि भगवान परशुराम सेवा समिति भैरोघाट पर शव दहन हेतु टिन शेड निर्माण की अनुमति चाहती है। अतः जनहित में प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत जो भी धनराशि जमा हुई 02 वर्ष बाद भी साफ्टवेयर के कारण समायोजन नहीं हो सका। समस्त जोनो में ओ0टी0एस0 के मामले के आज भी लम्बित पड़े हुये है, इस पर भी कार्यवाही कराई जाये।

श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि मेरे वार्ड के विकास कार्यो की तालिका में मुख्यालय के कार्यो को भी जोड़ दिया जाता है, जिससे मेरे वार्ड में ढाई करोड़ के कराये गये विकास कार्यो को मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया। इन कार्यो में मेरे वार्ड स्थित आचार्य नरेन्द्र महिला महाविद्यालय एवं योजनाओं के कार्य सम्मिलित कर लिये गये है, जबकि कार्यादेश की प्रति मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराई जाती।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) ने स्पष्ट किया कि सभी जोनो से भेजे गये विकास कार्यो/सूचनाओं की तालिका को मुख्यालय में संकलित करते हुये तद्नुसार विवरण तैयार किया जाता है। यदि किसी सदस्य को किसी प्रकार को आपत्ति सम्बन्धित जोन से जानकारी प्राप्त करे अथवा मुझसे मिल ले। जिससे सम्बन्धित से तालिका/सूचना प्राप्त करा दी जायेगी। फिर भी मान्नीय पार्षद जी को 5–6 दिन में सूची संशोधित कर उपलब्ध करा देंगे।

श्री अरविन्द यादव ने कहा कि दिनांक 11.06.2021 को नगर आयुक्त के आदेश से जोनल अभियन्ता, जोन–6 के सहायक अभियन्ता श्री अफजल चिश्ती का स्थानान्तरण मुख्यालय में किया गया, किन्तु 10 दिन बाद भी मुख्यालय में नहीं आये। आवास विकास में जो कार्य हो रहा है, उसी का कार्य सम्पादित कर रहे है। मेरे क्षेत्र के नालो की सफाई नहीं हो पायी है। मेरे क्षेत्र के नाले में वार्ड–69, वार्ड–91 का पानी आता है। हमारे क्षेत्र के नीलगिरी अपार्टमेन्ट, रतन स्तुति में वी0आई0पी0 रहते है। सारे नाले में सीवर बाहर बह रहा है। नाले में सीवर का भराव हो रहा है। सड़को पर गन्दगी न हो यह मा0 प्रधानमंत्री का सपना है।

मुख्य अभियन्ता ने अध्यक्ष एवं नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि आपके निर्देश पर ही श्री अफजल चिश्ती का स्थानान्तरण किया गया, परन्तु उच्चाधिकारियों के निर्देश एवं रिकार्ड मेजरमेन्ट कम्पलीट न होने के कारण जोन से कार्यमुक्त नहीं किया गया, सानुरोध यह भी अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नियम/उपनियम तथा मानको के आधार पर ही नगर निगम अभियन्त्रण विभाग निर्भर है। उक्त के तहत जब तक अभियन्ता रिकार्ड मेजरमेन्ट कम्पलीट अर्थात पत्रालियों का हस्तांतरण नहीं कर देता तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी आश्वस्त करता हूँ कि 2–3 दिन में करा दिया जायेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि पुरानी फाईले हैण्डओवर कर रहे है या नयी। समय सीमा निर्धारित कर दें, समय सीमा उपरान्त भी उपस्थित नहीं होते है, तो स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा।

श्रीमती रीता पासवान ने कहा कि रामबाग पार्क स्थित टयूब वेल ध्वस्त पड़ा हुआ है, जिससे गूदड़ बस्ती की जनता मेरा घेराव करती है। अतः एक रिबोर अथवा नया ट्यूब वेल लगवाये जाने का कष्ट करें।

श्री अमित मेहरोत्रा 'बब्लू' ने कहा कि मेरे क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय पार्क हैं आदमकद मूर्ति लगी हुई है, साथ ही मेरे क्षेत्र में काली माई का अखाड़ा है, दोनों का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें। मूरे कम्पनी पुल के नीचे नाले में गाय गिर गयी थी, नगर निगम के जेसीबी चालको ने सुरक्षित निकाल लिया। अतः नाले पर स्लैब डलवाने का कष्ट करें।

श्रीमती आरती गौतम ने कहा कि मेरे वार्ड–9 में रविदासपुरम से तात्याटोपे नगर, बाई पास– से बालाजी चौक, बर्रा–8 बसंत पेट्रोल पम्प से राम गोपाल चौराहे तक मुख्य मार्ग अत्यन्त जर्जर है। तात्याटोपे नगर में नलकूल खराब पड़ा है। मेरे क्षेत्र में बारातशाला का बोर्ड तो लगा दिया गया है, किन्तु अनुपालन कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्रीमती जरीना खातून ने कहा कि मेरे वार्ड–96 में एक नया कब्रिस्तान घोषित हुआ है, कब्रिस्तान की ओर जाने वाली छोटी–छोटी सड़के बन जाये, तो जनता को राहत मिल जायेगी। मुझे किसी भी सड़क के निर्माण की जानकारी नहीं दी जाती है। क्षेंत्र में एक नाला धंस गया है, ठीक कराने की कृपा करें तथा नालो की सफाई कराई जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि आपके क्षेत्र में आकर समस्याओं से अवगत होऊंगी साथ ही मुख्य अभियन्ता को शिकायतों के समाधान हेतु निर्देशित किया।

श्री संजय यादव ने कहा कि मेरे वार्ड– 23 मे जल भराव हो रहा है, नगर निगम कहना है कि हस्तानान्तरण नहीं है। कई पत्र दिये है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती और न विकास कार्य कराये जाते है, जबकि गृह कर लिया जा रहा है।

श्रीमती दीपा द्विवेदी ने कहा कि मेरे वार्ड–67 मे 05 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 02 ट्यूब है, जिनकी मोटर जल गयी है। 50 ट्राली कूड़ा हरी मस्जिद के पास पड़ा हुआ है। गन्दगी के कारण जनता परेशान है, कार्यवाही कराई जाये।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि सफाई कर्मियों की हाजिरी ऐप (app) से ली जा रही थी, जो वर्तमान में बंद है। अतः ऐप (app) से दोनो समय हाजिरी लेते हुए तद्नुसार ही वेतन का भुगतान किया जाये।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मेरा वार्ड गंगा किनारे लगता है। भैरो घाट के बगल में मोहन लाल पार्क है, जिसमें वर्ष 2009 में अण्डरग्राउन्ड टंकी रू0 270 लाख से बनाई गयी है, जो बन्द पड़ी है। टंकी चालू हो जाये, तो 5–6 वार्डो को पानी मिल सकता है। हमारे वार्ड में विष्णुपुरी में पार्क है। मान्नीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी ने शिलान्यास किया था, इसकी बाउन्ड्री बनवाकर सौन्दर्यीकरण करा दिया जाये तो जनता लाभान्वित होगी।

मो0 अमीम ने कहा कि मेरे वार्ड–97 बेकनगंज में खटिकाना, कुरियाना इत्यादि गलियां है। मेरे वार्ड में गंगा बैराज की वाटर लाईन से पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है। सबमर्सिबल पम्प की छोटी–छोटी पाइपों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो रही है। जल कल की लाईन में जल निगम द्वारा डाली गयी लाईन जोड़ने के बाद भी क्षेत्र मे पानी नहीं आ रहा है। अतः आई0आई0टी0 से कार्यो की जॉच करवाने एवं सीवर लाईन डलवाने की कृपा करे।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मेरे वार्ड के अन्तर्गत कबाड़ियों का साम्राज्य है, ईदगाह कॉलोनी से जब नीचे उतरते है, तो कबाड़ियों के कब्जे है। जोनल अधिकारी से कई बार शिकायत की, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे वार्ड में कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने काफी मेहनत से कार्य किया है, उनके वेतन बढाने पर विचार किया जाये। मेरे वार्ड में 07 सफाई कर्मियों की मृत्यु तथा 02 जेल में है। नगर निगम द्वारा 02 सफाई कर्मी दिये गये है, अतः सफाई कर्मी दिये जाये।

कु0 पूजा त्रिपाठी, जोनल अधिकारी ने अवगत कराया कि कबाड़ी वालो को कई बार हटाया गया, जेड0एस0ओ0 द्वारा चालान भी किया गया, अतः उनके विरूद्ध पुनः प्रभावी कार्यवाही कराई जायेगी।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि पूरा अतिक्रमण न हटाते हुये यूजर चार्ज के माध्यम से रिकवरी करायें तथा सामान भी जब्त करें।

श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि हमारे वार्ड में कूलर वाले अतिक्रमण करते है, कमला नेहरू पार्क के अतिक्रमण हटाने हेतु 03 महीने से लगातार कहने के बावजूद अतिक्रमण नही हट सका।

कु0 पूजा त्रिपाठी ने कहा कि आपके द्वारा निर्देशित स्थान पर भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अभी अतिक्रमण हटाने हेतु 2–3 स्थानों की तिथि लगी है, तत्पश्चात् जल्द ही हटा दिया जायेगा।

श्रीमती सोनी सिंह ने कहा कि मेरे वार्ड–57 में एम0आई0जी0 की 100 मीटर सड़क है, जिसके पैच वर्क की आवश्यकता है, साथ ही शाहपुर गॉव, रतनपुर कॉलोनी में पेयजल की समस्या है। अतः 02 हैण्डपम्प की भी आवश्यकता है।

श्री रमेश हटी ने कहा कि जो अधिकार न मिले, छीन लेना चाहिये, जो वक्त के सांचे में ढल न सके। नसो में खून जलाने की कोशिश तो करो, कौन कहता है, पत्थर पिघल नहीं सकते। बाकरगंज, बगाही स्थित कब्रिस्तान की मरम्मत होनी चाहियें। चाचा नेहरू हास्पिटल मेरे वार्ड के अन्तर्गत ही आता है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अतः अनुरोध है कि चाचा नेहरू हास्पिटल जल्द जीर्णोद्धार किया जाये। नगर निगम के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन, 15 हजार, 17 हजार है, समान कार्य, समान वेतन के आधार पर कम से कम रू0 तीस हजार वेतन दिया जाये। एक जेडपीएस (जोनल पम्पिंग स्टेशन) कोपरगंज में है। उससे पानी की लाइनों को जोड़ देने से 5–6 वार्डो के नागरिको को लाभ हो सकता है।

श्री दिनेश तिवारी ने कहा कि नये परिसीमन में मेंरे वार्ड में 30 प्रतिशत महाराजपुर और 30 प्रतिशत कैण्ट विधानसभा है। कुछ बीटो पर सफाई कर्मियों की मांग की है। चूंकि मेरे वार्ड में 03 बीघे का तालाब है। पूर्वान्चल के लोग निवास करते है, जिनका बड़ा त्योहार छठ पर्व है। अतः तालाब का सुन्दरीकरण कर दिया जाये तो बहू–बेटियों दूर जाने से बच जायेंगी।

श्री अमनदीप सिंह गम्भीर ने कहा कि ''अक्सर दुनिया में मिल कर जो इतिहास बनाया करते है'' वही सिंकदर कहलाया करते है, जब भी कानपुर नगर निगम का इतिहास लिखा जायेगा पहले पन्ने पर हर जगह नाम अक्षय त्रिपाठी का नाम ही लिया जायेगा। '' ऐतिहासिक कार्य कराने वाले नगर आयुक्त को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूॅ।

श्री सन्तोष साहू ने कहा कि मेरे वार्ड–82 अन्तर्गत वरूण विहार मे ट्यूब वेल लगा हैं टयूब वेल खराब हो गया है, राम गोपाल चौराहे से साउथ सिटी तक की ग्रीन बेल्ट क्षतिग्रस्त हो गयी है, मरम्मत कराने का कष्ट करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो नाले साफ कराये जा रहे है, उनकी सिल्ट नाले में चली जा रही है, शीघ्र उठवायी जाये।

कु0 विधि राजपाल ने कहा कि बर्रा–7 हाईवे पर वाटर लाईन का लीकेज हुआ था, उसे कच्चा बनाया गया है उसे पक्का बनाये जाने का कष्ट करें।

श्रीमती शाहिबा परवीन ने कहा कि वार्ड–73 में पूरी सीवर लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी है। वहॉ का नाला नया बनाये जाने की आवश्यकता है। के0डी0ए0 कॉलोनी मोदी नगर में गंदा पानी सप्लाई में आ रहा है। वार्ड में मलिन बस्ती है वहॉ के टेण्डर तो हो चुके है, किन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हुये।

श्री मनोज राठौर ने कहा कि एल0ई0डी0 लाईट प्रदान करने हेतु धन्यवाद, परन्तु अवगत कराना है कि एल0ई0डी0 लाईटों को जलाने हेतु कम्पनी स्विच नहीं लगाती, केवल 02 तार निकाल कर छोड़ देती है, नगर निगम से बताया गया है कि सभी बीटो से एक–एक कर्मचारी लेकर 250 कर्मियो का गैग बनाया गया है। जहॉ ज्यादा समस्या होती है, वहॉ भेज दिया जाता है। नाला सफाई हेतु 40 हजार मानव बल लगा है, मेरी मांग है कि इन्ही मानव बलों से गैंग बनाया जाये और बीटो के कर्मचारी वापस भेजे जाये।

अध्यक्ष ने सदस्यों से बैठक में प्रतिभाग कर रहे सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री ए0के0 राव से अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न पूछने के निर्देश दिये।

श्री शिव शंकर सैनी ने कहा कि सचान चौराहे के पास नहर की सिल्ट निकालकर सड़क पर सिंचाई विभाग द्वारा फेंक दिया जाता है। जिससे जनता चुटहिल होकर गिरती है।

श्री ए0के0रावत ने अवगत कराया कि सिंचाई विभाग द्वारा टेण्डर मांग कर नहर की सफाई दिसम्बर एवं जनवरी में कराई जाती है। सिल्ट की नीलामी करते है। नीलामी के उपरान्त ही सिल्ट उठाया जाता है। शहर में 5–6 किलोमीटर होकर नहर गुजरती है, किन्तु नहर के किनारे अगल–बगल के निवासी कूड़ा करकट डाल देते है। हमारे पास निस्तारण की व्यवस्था नहीं है इसलिये नगर निगम से अनुरोध करते है कि इसे रोका जाये।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि हनुमन्त विहार धोबिन पुलिया में नहर की 10 ट्रक सिल्ट जमा है, कब और कैसे उठायेंगे ?

श्री मनोज राठौर ने कहा कि जूही नहरिया सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे है, इन्हें हटाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि 3–4 महीने से बाई पास की तरफ का कूड़ा ठेकेदार उठा नहीं रहा है, हमारे पार्षदो को अपमानित होना पड़ता है, तो बताये कि ठेकेदार पर मेहरबानी क्यों ? कार्यवाही क्यों नही की जाती ?

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि गुजैनी वाटर वर्क्स से हमारे वार्ड एवं आस पास के अन्य वार्डो को पानी मिलता है नहर अक्सर बंद कर दी जाती है, तो पानी कैसे मिलेगा?

हाजी सुहैल ने कहा कि 2005 में गंगा बैराज निर्माण समय से ही संचालन किया जा रहा है। जनपद उन्नाव मे वाटर सप्लाई के लिये डीटीसीएल कम्पनी द्वारा पानी का श्रोत गंगा बैराज दिखाया गया है। गंगा बैराज से उन्नाव के लिये लाईन निकाली गयी है। सरफेस वाटर गंगा बैराज है, 1600 एम0एल0डी0 पानी देना है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि भविष्य मे कानपुर को पानी की सप्लाई में कमी होगी। बाईलाज है कि गंगा बैराज का पानी चोरी नही कर सकते है, तो बैराज से पानी उन्नाव को कैसे देंगे ?

श्री ए0के0 राव ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नही है।

श्री सौरभ तिवारी ने कहा कि सनिगवां में नहर की पूरी पटरी पर अवैध खनन किया जाता है। रू0 3500 से 5000 प्रति डम्फर ठेकेदार लेते है, 6 फीट लगे सिल्ट के ढेर को सड़को से हटाने पर नगर निगम की सड़के क्षतिग्रस्त हो रही है, इस पर कार्यवाही कराई जाये।

श्री अनुज गुप्ता ने कहा कि एक वर्ष पूर्व श्री अमिताभ वाजपेई, मा0 विधायक द्वारा हालसी रोड टंकी पर धरना दिया गया था। विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने के कारण क्षेत्र के नागरिक पानी नहीं भर पाते है। जिससे टयूब वेल से मात्र एक ही समय पानी मिल पाता है, वो भी पानी के अवैध कनेक्शन होने के कारण लो–प्रेशर से सभी को पानी नहीं मिल पाता है। ढाई बजे के बाद लकड़मण्डी से हालसी रोड के बीच हरे रंग के पाईप लटकते मिल जायेंगे, उसे टैपिंग कराने का कष्ट करें और प्रश्नगत पानी की लाईन के अवैध कनेक्शनों की जॉच कराने की कृपा करें।

अध्यक्ष ने जलकल महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि अवैध कनेक्शनो की जॉच करवाकर उनकी टेपिंग करवाते हुये प्रश्नगत क्षेत्र की जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

श्री मदन बाबू ने कहा कि गंगा बैराज में बाढ़ के कारण कटान हो जाता है, उस पर कंक्रीट डाल दी जाये तो ताकि बरसात में कटान न हो। मेरे वार्ड–13 में विगत 06 माह से पानी नहीं मिल रहा है। मन्नीपुरवा, पुराना कानपुर, मछुआ नगर, यदि मेन लाईन से जोड़ दिया जाये, तो समस्या दूर हो जायेगी।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक में भी मांग की थी कि राम गोपाल चौराहे से बनी ग्रीन बेल्ट अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है,अतः पेड़ो कल छंटाई कराते हुये सुन्दरीकरण कराया जाये। मार्ग प्रकाश की भी समस्या है, 01 वर्ष से उपर हो गया, किन्तु समस्या का निराकरण नहीं हुआ।

श्री बी0के0 सिंह उद्यान अधीक्षक ने अवगत कराया कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त हो गयी है, जल्द ही कटाई–छंटाई की जायेगी तथा सुन्दरीकरण भी कराया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा सायं 04:00 बजे 20 मिनट के लिये बैठक की कार्यवाही स्थगित की गयी।

.....

स्थगन अवधि के पश्चात् सायं 04:20 मिनट पर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

श्रीमती कीर्ति अग्निहोत्री ने कहा कि 'सुबह होती है, शाम होती है, पार्षदो की समस्यायें तमाम होती है।'' महोदया मेरे वार्ड मे आनन्देश्वर मंदिर है, जहॉ आप भी प्रतिदिन जाती है, परन्तु कहने के बाद भी न तो अतिक्रमण हटा और न हीं विकास कार्य हुये। एक बहुत पुराना सुलभ शौचालय बना हुआ है, बगल में एक नया बन गया है। मेरी मांग है कि पुराना सुलभ शौचालय ध्वस्त कर सामुदायिक केन्द्र बना दिया जाये।

अध्यक्ष ने पार्षद से कहा पूरी बस्ती के लोग उसी सुलभ शौचालय का उपयोग करते है, यदि टूट जायेगा, तो बस्ती के लोग कहॉ जायेंगे ? साथ ही बाबा आन्देश्वर धाम के विकास से मैं भी सहमत हूॅ , इसी परिप्रेक्ष्य में श्री आर0के0सिंह, अधिशाषी अभियन्ता से कहा कि बाबा आन्देश्वर धाम शहर का सिरमौर है, आप वहॉ काम क्यों नहीं कराना चाहते ?

श्री आर0 के0 सिंह ने कहा कि तिथि निर्धारित कर दें, दूसरे दिन से ही काम प्रारम्भ जायेगां।

नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि बाबा आन्देश्वर धाम का आपसे शिलान्यास कराते हुये कार्य भी प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

.....

प्रस्ताव संख्या–106

पालिका स्टेडियम में स्पोटर्स काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

पलिका स्टेडियम कानपुर नगर निगम स्वामित्व हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के खेल–कूद तथा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। यहाँ पर इन्डोर गेम्स के लिये कोई भी सुविधा उपलब्ध नही हैं। उपरोक्त के साथ–साथ नगर में भी इन्डोर स्पोर्ट के लिये कोई अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध नही हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यहाँ परउपलब्ध रिक्त स्थानपर एक अंतराष्ट्रीय स्तर का सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं, जो की कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाईन्स मे अंकित हैं। उपरोक्त स्पोर्ट काम्पलेक्स के निर्माण से पालिका स्टेडियम मे ंपूर्व उपलब्ध क्रीड़ा सुविधाओं में ंकोई भी बदलाव नही होगा। उक्त स्टेडियम के लगभग 45 करोड़ की धनराशि व्यय का अनुमानित हैं।कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा उक्त रिक्त स्थल पर स्पोटर्स काम्पलेक्स के निर्माण में व्यय धनराशि की प्रति पूर्तिगणना के अनुसार लगभग 10 वर्षो मे संचालन के उपरान्त कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्राप्त होगी।

अतः कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड पालिका स्टेडियम मे अत्याधुनिक स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण व निर्माण उपरान्त 10 वर्षो तक संचालन एवं रख–रखाव हेतु मे कानपुर नगर निगम की शर्तो के अनुसार प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति, के समक्ष सादर स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री सौरभ देव ने कहा मा0 अध्यक्ष महोदया जैसा मैने व कुछ सदस्यों ने पिछले सदन में कहा था कि प्रस्ताव में यदि स्मार्ट सिटी से पालिका स्टेडियम में अन्य खेलो हेतु व्यवस्थायें की जायेंगी तो क्रिकेट खेलने वाले कहाँ जायेंगे। कानपुर से क्रिकेट के कई अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले है। स्मार्ट सिटी द्वारा जिस कम्पनी को पालिका स्टेडियम संचालन हेतु दिया जा रहा है, उसमें क्या नियम व शर्ते लगाई गई है, अवगत कराया जाये ? पालिका स्टेडियम के बगल में ही एक कामर्शियल ग्राउण्ड है, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है। वहाँ पर टीनशेड डालकर बाथरूम बनाया जा रहा है, क्या उसकी अनुमति ली गई है। क्या स्मार्ट सिटी के कार्यो को सदन के संज्ञान में नहीं लाया जाना चाहिये ?

नगर आयुक्त ने कहा कि पालिका स्टेडियम में जो कार्य हो रहे है, उनमें क्रिकेट के स्वरूप से कोई छेड़–छाड नही की गयी है, क्रिकेट आज भी पूर्व की भॉति संचालित है। कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा जिस फर्म को यह कार्य सौपा गया है, वह पूर्ण पारदर्शिता के साथ व नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर ही दिया गया है। फर्म द्वारा एक मल्टीपरपस हॉल, 3 बेडमिन्टन/बासकेट बॉल/वॉली बॉल/हेण्ड बाल, टेबेल टेनिस टेबल ,एक सेमी ऑलम्पिक साईज कर्वड स्वीमिंग पूल एक किड्स स्पलैश पूल, शुटिंग रेंज,बिलीयडर्स, टैबल टेनिस रूम,योगा कम एइरोबिक्सकाम्बेट हॉल, जूडो, फ्री स्टाईल रेस्टलिंग,टैकवोन्डो, कराटे,बाक्सिंग, स्कवॉश कोर्ट, लॉन टैनिस इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।

श्री सौरभ देव ने कहा कि सदन के सभी साथी शहर में खेल का विकास चाहते है, किन्तु नियमों को ताक पर रख कर नहीं।

.....**प्रश्नगत प्रस्ताव अपूर्ण है एवं उल्लिखित प्रस्ताव में नगर निगम की शर्तो का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिये प्रस्ताव को निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण करके अगली मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी।**

प्रस्ताव संख्या –107

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या 38/3/प दिनांक 14.04.2021 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत।
2. रू0 1,200.00 से अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत ।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण धनराशि जमा होने पर/ अवशेष होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 की चालू मॉग पर अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 10 प्रतिशत छूट तथा इसके पश्चात् विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त को एक माह अर्थात् जुलाई 2021 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।
4. भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रक्रिया में डिजिटाईजेशन की प्रमुखता दी गई है, इसमे त्वरित भुगतान के साथ–साथ समय की बचत होती है। अतः भवन स्वामियों द्वारा अपने गृहकर का भुगतान(ई–पेमेन्ट) डिजिटल करने पर 00.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... **तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव हस्तगत (टेबुल) किये गये :–

टेबुल प्रस्ताव संख्या–108

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/ 401 /अ0अ0–1 दिनांक 11–06–21 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेशित।

–: प्रस्ताव :–

जोन–1 वार्ड–01 के अन्तर्गत चाचा नेहरू अस्पताल में मुख्य अस्पताल भवन की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया अस्पताल का प्रथम तल वर्श 1966 का बना हुआ है जो वर्श 1997 से प्रयोग में नही है। वर्तमान में उच्च अधिकारियों एवं मा0 महापौर जी के निर्देषानुसार अस्पताल को पुनः गतिमान किया जाना है। अस्पताल वर्श 1997 बन्द होने के कारण अस्पताल भवन कई स्थलो क्षतिग्रस्त हो गई है जिसकी मरम्मत एवं रगांई पुताई किया जाना आवष्यक है। अस्पताल बच्चो के उपचार हेतु पुनः चालू किया जाना है।

जोन–1 वार्ड–01 के अन्तर्गत चाचा नेहरू अस्पताल में मुख्य अस्पताल भवन की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य हेतु आगणन धनांक रूपया 2619,373.00 तथा आरक्षित जी0एस0टी0 धनाक रू 3,14,325.00 कुल धनाक रू 29,33,698 की स्वीकृति मा0 कार्यकारणी के माध्यम से मा0 सदन सें प्राप्त की जानी है।

अतएव उक्त कार्य का आगणन धनांक रूपया 2619,373.00 तथा आरक्षित जी0एस0टी0 धनाक रू 3,14,325.00 कुल धनाक रू 29,33,698 की स्वीकृति नगर निगम अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेशित है।

..... **तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी** ।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–109

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/402 /अ0अ0–1 दिनांक 11/06/21 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेशित।

जोन–1 वार्ड–01 के अन्तर्गत चाचा नेहरू अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एव रंगाई पुताई का कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया अस्पताल का प्रथम तल वर्श 1966 का बना हुआ है जो वर्श 1997 से प्रयोग में नही है। वर्तमान में उच्च अधिकारियों एवं मा0 महापौर जी के निर्देषानुसार अस्पताल को पुनः गतिमान किया जाना है। अस्पताल वर्श 1997 बन्द होने के कारण अस्पताल भवन की बाउ स्थलो क्षतिग्रस्त हो गई है जिसकी मरम्मत एवं रगांई पुताई किया जाना आवष्यक है। अस्पताल बच्चो के उपचार हेतु पुनः चालू किया जाना है।

जोन–1 वार्ड–01 के अन्तर्गत चाचा नेहरू अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एव रंगाई पुताई हेतु आगणन धनांक रूपया 24,64,285.00 तथा आरक्षित जी0एस0टी0 धनाक रू 2,95,714.00 कुल धनाक रू 27,60,000.00 की स्वीकृति मा0 कार्यकारणी के माध्यम से मा0 सदन सें प्राप्त की जानी है।

अतएव उक्त कार्य का आगणन धनांक रूपया 24,64,285.00 तथा आरक्षित जी0एस0टी0 धनाक रू 2,95,714.00 कुल धनाक रू 27,60,000.00 की स्वीकृति नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (4) के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेशित है।

..... **तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–110

श्री अनूप शुक्ला, पार्षद, वार्ड–88 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव।

जोन–3 वार्ड–88 के अन्तर्गत बाबा नगर नौबस्ता पुरानी बस्ती में विशाल प्रोविजन स्टोर से पन्नी फैक्टरी तक नाला निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पत्रावली संख्या 33/ए0ए0–3/21–22 आगणन राशि 2533047.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

..... **तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–111

नगर आयुक्त महोदय के पत्र संख्या डी/336/अ0अ0–6 दिनांक 18.03.2021 अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

जोन–6 वार्ड–35 की क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर वार्ड–35 कल्याणपुर स्थित गोवा गार्डेन में सम्पवेल का निर्माण कार्य का आगणन धनांक रू0 2752898.00 (रूपया सत्ताइस लाख बावन हजार आठ सौ अन्ठानवें मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) तैयार किया गया है, आगणन स्वीकृति एवं निविदा स्वीकृति किये जाने की अनुमति हेतु मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है। कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

..... **तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 112

वित्तीय वर्ष 2020–21 में नगर निगम द्वारा स्थापित टावरों व पोलों पर ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 फ्लड लाईटे व स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलों पर नगर निगम द्वारा एल0ई0डी0 फ्लड लाईटें व स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज) /2017 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलों पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी ने नगर निगम द्वारा स्थापित नए टावरों व पोलो पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे नये स्थापित किये जा चुके टावरों के आस –पास प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुए नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरों पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स लगाया जाना आवश्यक है तथा नये एल0ई0डी0 विहीन सामान्य पोलों पर नई लाईटों की भी अत्यन्त आवश्यकता है। जिसके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

क्रम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन– 3, 4, 5 व 6 में स्थापित 56 टावरों के लिये 224 नग फ्लड लाईट 200 वाट एवं कनेक्शन वायर	रू0 29,99,772.16
2	जोन– 1, 2, व 3 में स्थापित 56 टावरों के लिये 224 नग फ्लड लाईट 200 वाट कनेक्शन वायर	रू0 29,99,987.20
3	जोन– 1, 2, 3, 4, 5, व 6 के 32 ऐसे स्थल जिनकी निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है के लिये 148 नग फ्लड लाईट 200 वाट कनेक्शन वायर	रू0 19,82,489.60

4	जोन– 1, 2, 3, 4, 5 व 6 में स्थापित पोलों के लिये 350 नग स्ट्रीट लाईट 110 से 130 वाट एवं पाईप व क्लैम्प आदि	रू0 29,75,000.00

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनों से कराने हेतु मा0 सदन से अनुमति अपेक्षित है।

..... **उपरोक्त प्रस्ताव को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136 के अन्तर्गत ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–113

वर्तमान समय में ई0ई0एस0एल0 द्वारा नई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट न लगाने के कारण खाली पोलों पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृपया शासनादेश संख्या 4345/नौ–8–2017–37 (ज) /2017 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में दिनांक 27.10.2017 को ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम में मध्य अनुबन्ध किया गया जिसके पश्चात् परम्परागत स्ट्रीट लाईट को कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तित किये जाने का कार्य ई0ई0एस0एल0 द्वारा आरम्भ किया गया। नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये टावरो व पोलों पर एल0ई0डी0 फ्लड लाईट्स एवं स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी इसी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था।

गत वर्ष से ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा खाली पोलों पर नई लाईटें नही लगाई जा रही है जिससे प्रकाश व्यवस्था कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुए शहर के खाली पोलों पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

क्रम	विवरण	आगणन + जी0एस0टी0
1	जोन–1 के 18 वार्डों में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 16,27,136.00
2	जोन–2 के 21 वार्डों में 105 नग 75–90 वॉट एवं 105 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 18,98,836.80
3	जोन–3 के 18 वार्डों में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 16,27,136.00
4	जोन–4 के 15 वार्डों में 75 नग 75–90 वॉट एवं 75 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 13,58,504.00
5	जोन–5 के 18 वार्डों में 90 नग 75–90 वॉट एवं 90 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 16,27,136.00
6	जोन–6 के 20 वार्डों में 100 नग 75–90 वॉट एवं 100 नग 110 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं पाईप व क्लैम्प आदि का कार्य।	रू0 18,09,292.80

अतः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने संसाधनों से कराने हेतु मा0 सदन से अनुमति अपेक्षित है।

..... **उपरोक्त प्रस्ताव को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136 के अन्तर्गत ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–114

श्री सौरभ देव, पार्षद, वार्ड–15 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड –15 के अन्तर्गत हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से थाना कर्नलगंज के मध्य नाला सुधार कार्य की आगणन राशि रू0 2952967.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

.....**ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 115

मान्नीय श्री अमिताभ वाजपेई, सदस्य विधान सभा/पदेन सदस्य द्वारा कलक्टरगंज चौराहा एवं कलक्टरगंज बाजार का नाम व्यापारिक नेता स्व0 पं0 श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर किये जाने हेतु हस्तगत प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

आप सब अवगत है कि हिन्दुस्तान की व्यापारिक राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा एवं व्यापारी नेता पं0 श्याम बिहारी मिश्रा जी हम लोगों को छोड़कर अपनी अनंत यात्रा के लिये प्रस्थान कर गये है। उनका कानपुर की राजनीति से शुरूआत हुई और कानपुर के व्यापारियों के बीच में गहरी पैठ रही और जब–जब व्यापारी संघर्ष की बात आती है। तब पं0 श्याम बिहारी मिश्रा जी का नाम उसमें सर्वोपरि आता है। इसलिए कानपुर शहर व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। यहां की कलक्टरगंज बाजार से ही पं0 श्याम बिहारी मिश्रा जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की। इसलिए मैं यह सम्मानित सदन के माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूँ कि कलक्टरगंज चौराहा का नामकरण व कलक्टरगंज बाजार का नामकरण पं0 श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम से किया जाये और वहां पर एक भव्य स्मारक भी उनके नाम से बनाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व में नामकरण समिति के माध्यम से कलक्टरगंज बाजार का नाम अयोध्या नगर किये जाने की संस्तुति की जा चुकी है। अतः कलक्टगंज की मुख्य सड़क का नाम पं0 श्याम बिहारी मिश्र मार्ग करने तथा स्मारक निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क के नामकरण में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, परन्तु स्मारक बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन का अनुमोदन अपेक्षित है।

.....**कलक्टगंज की मुख्य सड़क का नाम पं0 श्याम बिहारी मिश्र मार्ग करते हुए स्मारक निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया ।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–116

श्री अशोक पाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

हमारे वार्ड 36 में वाल्मीकी बस्ती जो कि घनी आबादी का क्षेत्र है वहॉ की सबसे मूल एवं गम्भीर समस्या शौचालय की है। वहॉ की जनता हिन्दू कब्रिस्तान जो कि इस मुहल्ले से सटा हुआ इलाका हैं। जिसमें वहॉ के निवासी शौचादि हेतु वहॉ जाया करते है,जो कि यह कार्य निन्दनीय है।

अतः आपसे निवेदन है कि उस बस्ती का निरीक्षण कराकर उचित स्थान पर एक शौचालय निर्माण करवाने का कष्ट करें, जिससे वहॉ की जनता को खुले में शौच आदि के लिये न जाना पड़े।

.....मुख्य अभियन्ता (सिविल) को स्थलीय निरीक्षण कराते हुए आगणन तैयार कर कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–117

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/62/अ0अ0–6/2021–22 दिनांक 16.06.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(4) के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन–6 वार्ड–52 गीता नगर के अन्तर्गत शोभन चौराहे से इन्द्रपुरी रोड तक नाला निर्माण कार्य हेतु आगणन रू0 22,15,872.00 (रूपया बाइस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) जी0एस0टी0 सहित तैयार किया गया है, आगणन स्वीकृति एवं कार्य की निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। कार्य जनहित कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

.....तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–118

मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय के पीछे निर्माणाधीन सभागार भवन में अवशेष कार्य मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव पर विचार किया जाना

उपरोक्त विषयक कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० महापौर महोदया की अध्यक्षता में चौदहवें वित्त आयोग से मुख्यालय के पीछे पुलिस चौकी एवं रिक्त भूमि को जोड़ते हुए सभागार के निर्माण कार्य हेतु धनराशि 150.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में निविदा आदि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर स्लैब लेवल तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है। उक्त कार्य के आगणन में कुछ मदों का समावेश न होने के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है। आगणन में भवन के आन्तरिक साज–सज्जा जिसमें फाल्स सीलिंग, वाल पेन्टिंग का कार्य मुख्य रूप से सम्मिलित है।

उक्त के क्रम में कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त मदों का प्राविधान करते हुए एक आगणन धनांक रू० 29,89,583.00 का तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.....तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–119

मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय के पीछे निर्माणाधीन सभागार भवन में अवशेष कार्य मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

उपरोक्त विषयक कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० महापौर महोदया की अध्यक्षता में चौदहवें वित्त आयोग से मुख्यालय के पीछे पुलिस चौकी एवं रिक्त भूमि को जोड़ते हुए सभागार के निर्माण कार्य हेतु धनराशि 150.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में निविदा आदि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर स्लैब लेवल तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है। उक्त कार्य के आगणन में कुछ मदों का समावेश न होने के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है। कार्य के आगणन में मुख्यतया सेनेटरी/प्लाम्बिंग का कार्य इलेक्ट्रिफिकेशन एवं कुछ भाग में टाइल्स का प्राविधान सम्मिलित है।

उक्त के क्रम में कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त मदों का प्राविधान करते हुए एक आगणन धनांक रू० 29,86,739.00 का तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.....तद्नुसार ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड–19 की दूसरी लहर में दूसरी लहर में पूर्व महापौर तथा पार्षद एवं अधिकारी/कर्मचारी के निधन पर दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु सदस्यों से श्रद्धान्जलि ज्ञापित की जाये।

तद्नुसार सभी सदस्यों द्वारा 02 मिनट की शान्ति के साथ श्रद्धान्जलि अर्पित की गयी।

दिनांक 15.06.2021 एवं 17.06.2021 की स्थगित बैठक तथा दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत प्रदान करने के लिये कहा।

.....सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 15.06.2021 एवं 17.06.2021 की स्थगित बैठक तथा दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर